रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 4, 1977/ज्येष्ठ 14, 1899

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 4, 1977/JYAISTHA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 6 मई 1977

आदेश

का०आ० 1605.—श्री बाबू लाल निवासी सराय के सामने खैरथल जिला अलवर राजस्थान राज्य जिन्होंने मार्च 1972 में हुए राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन के लिए 55-खैरथल निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10-क के अधीन उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण इस आयोग द्वारा तारीख 12-7-1974 के अपने आदेश द्वारा निरर्हित कर दिया गया था।

और, अब उक्त श्री बाबू लाल ने निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के कारण बताते हुए उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग को एक अभ्यावेदन दिया है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उन पर अधिरोपित निरर्हता की उक्त अवधि को एतद्द्वारा घटा कर उतनी ही करता है जितनी वह वास्तव में सहन कर चुके हैं और उपरोक्त निरर्हता अनवसित कालावधि के लिए इसी समय से हटाई जाती है।

[सं० राज०वि०स०/55/72(आर०)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 6th May, 1977

ORDER

S.O. 1605.—Whereas Shri Babu Lal, resident of Opposite Sarai, Khairthal, District Alwar, Rajasthan State, who was a contesting candidate for election to the Rajasthan Legislative Assembly from 55-Khairthal Constituency held in March, 1972 was disqualified by the Commission by its order, dated 12 July, 1974 under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for his failure to lodge an account of his election expenses as required by the said Act and the Rules made thereunder;

And whereas the said Shri Babu Lal has now submitted a representation to the Election Commission for the removal of the disqualification imposed on him giving reasons for his failure to lodge the account of his election expenses;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the said Act, the Election Commission hereby reduces the period of disqualification imposed on him to the period of disqualification already suffered by him and removes the disqualification for the unexpired period with immediate effect.

[No. RJ-LA/55/72(R)]

नई दिल्ली, 9 मई 1977

आदेश

का० आ० 1606.—फरवरी 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 413-नकुड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री बालेश्वर कुमार, सुपुत्र श्री बुध सिंह ग्राम व पो० आ० नकुड़, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अधीन, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 26 दिसम्बर, 1975 के अपने आदेश सं० उ० प्र०-वि० स०/413/74(490) द्वारा निरर्हित कर दिया गया था,

और, अब उक्त श्री बालेश्वर कुमार ने निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में अपनी असफलता के कारण बताते हुए उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग को एक अभ्यावेदन दिया है और उसके बाद उसके समर्थन में एक शपथ-पत्र भी दाखिल किया है;

और, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बालेश्वर कुमार के पास उक्त असफलता के लिए पर्याप्त कारण हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उन पर अधिरोपित निरर्हता की उक्त अवधि को एतद्द्वारा घटा कर उतनी ही करता है जितनी वह वास्तव में सहन कर चुके हैं और उपरोक्त निरर्हता अनवसित कालावधि के लिए इसी समय से हटाई जाती है।

[सं० 76/305-वि०स०/77(1)]

New Delhi, the 9th May, 1977

ORDER

S.O. 1606.—Whereas Shri Baleshwar Kumar son of Shri Budh Singh, village and post-office Nakur, district Saharanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 413-Nakur assembly constituency, held in February, 1974, was disqualified by the Election Commission vide its Order No. UP/LA/413/74(490), dated 26 December, 1975 under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for the failure to lodge the account of his election expenses in the manner required by the said Act and the Rules made thereunder;

And whereas the said Shri Baleshwar Kumar has now submitted a representation to the Election Commission for the removal of the disqualification imposed on him, giving reasons for his failure to lodge the account in the manner required by law and has also since submitted an affidavit in support thereof.

And whereas the Election Commission is satisfied that Shri Baleshwar Kumar had sufficient reasons for such default;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Election Commission hereby reduces the period of disqualification imposed on him to the period of disqualification already suffered by him and removes the disqualification for the unexpired period with immediate effect.

[No. 76/UP/LA/77(1)]

नई दिल्ली, 10 मई 1977

आदेश

का० आ० 1607.—फरवरी, 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 227-बलिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री रामेश्वर सिंह, शीतल दवनी, बलिया, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अधीन, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 26 दिसम्बर 1975 के अपने आदेश सं० उ०प्र०/वि०स०/227/74(171) द्वारा निरर्हित कर दिया गया था,

और, अब उक्त श्री रामेश्वर सिंह ने उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग को एक अभ्यावेदन यह कहते हुए दिया है कि वस्तुतः उन्होंने अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा निर्धारित समय के अन्दर दाखिल कर दिया था और उन्होंने अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल करने के समर्थन में मूल पावती भी तारीख 29 मार्च 1974 को प्रस्तुत कर दी है;

और, श्री रामेश्वर सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई पावती से उनके कथन की सचाई के बारे में निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उनकी निरर्हता को एतद्द्वारा इसी समय से हटाता है।

[सं० 76/उ०प्र०/वि०स०/77(2)]

New Delhi, the 10th May, 1977

ORDER

S.O. 1607.—Whereas Shri Rameshwar Singh, Shital Dawani, Ballia, District-Ballia, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 227-Ballia Assembly constituency, held in February, 1974, was disqualified by the Election Commission vide its Order No. UP/LA/227/74(471), dated 26th December, 1975 under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for the failure to lodge any account of his election expenses as required by the said Act and the Rules made thereunder;

And whereas the said Shri Rameshwar Singh has now submitted a representation to the Election Commission for the removal of the disqualification imposed on him, stating that he actually submitted his account of election expenses within the time required by law and has also submitted an original receipt in support of his lodging the account of election expenses with the District Election Officer on 29 March, 1974;

And whereas the Election Commission is satisfied by the receipt produced by Shri Rameshwar Singh as to the authenticity of his statement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Election Commission hereby removes his disqualification with immediate effect.

[No. 76/UP-LA/77(2)]

नई दिल्ली, 11 मई 1977

आदेश

का०आ० 1608—श्री चन्द्र भान सिंह निवासी, ग्राम व डाकखाना निधौली कलां, जिला एटा, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए फरवरी, 1974 में हुए साधारण निर्वाचन में 349-निधौली कलां निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा उसके आदेश सं० उ०प्र०/वि०स०/349/74(306) तारीख 20 अक्टूबर 1975 द्वारा उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निरर्हित कर दिए गए थे,

और उक्त श्री चन्द्र भान सिंह ने अब निर्वाचन आयोग को उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के कारण बताते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और उन्होंने अब विधिवत रूप से अपने हस्ताक्षर सहित निर्वाचन व्ययों का लेखा भी प्रस्तुत कर दिया है ;

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चन्द्र भान सिंह के पास इस असफलता के लिए पर्याप्त कारण थे और उनके द्वारा अब प्रस्तुत किया गया निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल किया गया है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उनकी निरर्हता को इसी समय से हटाता है।

[सं० 76/उ०प्र०-वि०स०/77(3)]

ए० एन० सेन, सचिव

New Delhi, the 11th May, 1977

ORDER

S.O. 1608.—Whereas Shri Chandra Bhan Singh (Nidhauli Kalan), Village and P.O. Nidhauli Kalan, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 349-Nidhauli Kalan assembly constituency, held in February, 1974, was disqualified by the Election Commission vide its Order No. UP-LA/349/74(306), dated 20 October, 1975 under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for the failure to lodge an account of his election expenses as required by the said Act and the Rules made thereunder;

And whereas the said Shri Chandra Bhan Singh has now submitted a representation to the Election Commission for the removal of the disqualification imposed on him, giving reasons for his failure to lodge the account required by law and has also since submitted an account of his election expenses duly signed by him;

And whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Bhan Singh had sufficient reasons for such default and that the account of election expenses now submitted by him is in the manner required by law.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Election Commission hereby removes his disqualification with immediate effect.

[No. 76/UP-LA/77(3)]

A. N. SEN, Secy.

नई दिल्ली, 9 मई, 1977

आदेश

का०आ० 1609—मार्च 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 93, कोटा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री मंगल प्रसाद, ग्राम देवगांव, पो० पेन्ड्रा रोड, तहसील तथा जिला बिलासपुर को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10-क के अधीन उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 28 मई 1974 के अपने आदेश सं० म०प्र०-वि०स०/93/72(38) द्वारा निरर्हित कर दिया गया था ,

और अब उक्त श्री मंगल प्रसाद ने उस पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग को एक अभ्यावेदन दिया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उन पर अधिरोपित निरर्हता की उक्त अवधि को एतद्द्वारा घटा कर उतनी ही करता है जितनी वह वास्तव में सहन कर चुके है और उपरोक्त निरर्हता अनवधित कालावधि के लिए इसी समय से हटाई जाती है ।

[सं० म०प्र०/वि०स०/93/72]

New Delhi, the 9th May, 1977

ORDER

S.O. 1609.—Whereas Shri Mangal Prasad, Village Deorgaon, Post Pendra Road, Tahsil Bilaspur, District Bilaspur, a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 93-Kota constituency held in March, 1972, was disqualified by the Election Commission *vide* its Order No. MP-LA/93/72(38), dated 28 May, 1974, under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for failure to lodge the account of his election expenses as required by the said Act and the rules made thereunder;

And whereas the said Shri Mangal Prasad has now submitted a representation to the Election Commission for the removal of the disqualification imposed on him ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Election Commission hereby reduces the period of disqualification imposed on him to the period of disqualification already suffered by him and removes the disqualification for the unexpired period with immediate effect.

[No. MP-LA/93/72]

नई दिल्ली, 13 मई 1977

का०आ० 1610.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, सिक्किम सरकार के परामर्श से, श्री डी० सी० लुकसोम के स्थान पर श्री डी० के० मानवलन, आई०ए०एस०, मंडल आयुक्त, सिक्किम को तारीख 2 अप्रैल 1977 के सिक्किम राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में अगले आदेशों तक एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/सिक्किम/77]

प्र० कु० मिश्र, सचिव

New Delhi, the 13th May, 1977

S.O. 1610.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim, hereby nominates Shri D. K. Manavalan, I.A.S. Divisional Commissioner, Sikkim as the Chief Electoral Officer for the State of Sikkim, with effect from 2 April, 1977 and until further orders *vice* Shri D. C. Lucksom.

[No. 154/SKM/77]

P. K. MISRA, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1977

का०आ० 1611—केन्द्रीय सरकार पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम 1936 (1936 का 3) की धारा 20 के साथ पठित

धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के अधीन वादों की सुनवाई के प्रयोजनार्थ दिल्ली में पारसी जिला विवाह-विषयक न्यायालय के रूप में ज्ञात एक विशेष न्यायालय गठित करती है। जिला दिल्ली में समाविष्ट क्षेत्र उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं होंगी।

[सं० 29/7/77-न्याय]

महेश नारंग, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Deptt. of Justice)

New Delhi, the 16th May, 1977

S.O. 1611.—In exercise of the powers conferred by section 18, read with section 20, of the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (3 of 1936), the Central Govt. hereby constitutes a Special Court at Delhi to be known as the Parsi District Matrimonial Court for the purpose of hearing suits under that Act and the areas comprised in the district of Delhi shall be the local limits of the jurisdiction of that Court.

[No. 29/7 77-Jus.]

M. C. NARANG, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 17 मई, 1977

का०आ० 1612.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 12 जून 1962 की संख्या एस० ओ० 1906 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :—

उपर्युक्त अधिसूचना में संलग्न फार्म 'क' और 'ख' में अन्त में पड़ने वाले शब्द "गवर्नर" के स्थान पर "गवर्नर या उप-गवर्नर" रखा जायेगा।

[सं० एफ० 1/1/76-बी० ओ० I]

सी०डब्ल्यु० मीरचन्दानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(Banking Wing)

New Delhi, the 17th May, 1977

S.O. 1612.—In pursuance of sub-section (1) of section 53 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby directs that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 1906, dated the 12th June, 1962, namely:—

In Forms 'A' and 'B' annexed to the said notification, for the word "Governor" occurring at the end, the word, "Governor or Deputy Governor" shall be substituted.

[No. F. 1/1/76-BO. I]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy

नई दिल्ली, 19 मई, 1977

का०आ० 1613—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 1976 से 28 फरवरी 1978 तक राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 8-3/77-ए०सी०]

वी० एन० बहादुर, उप-सचिव

New Delhi, the 19th May, 1977

S.O. 1613.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Rajasthan State Industrial Cooperative Bank Ltd., Jaipur, for the period from 31 March, 1976 to 28 February, 1978.

[No. F. 8-3/77-AC]

V. N. BAHADUR, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्ता, कार्यालय, पश्चिम बंगाल

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

कलकत्ता, 9 अप्रैल 1977

का०आ० 1614.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 44 के नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उन अधिकारियों, जो अधीक्षक के पद से नीचे के न हों, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता के 24 घण्टे की अवधि की छूट देने से संबंधित कार्य क्षमता जिसका उल्लेख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 44 के नियम 173-ओ के उप-नियम (2) में तथा नियम 185 के उप-नियम (1) में और संशोधन दिनांक 29/1/77 की अधिसूचना सं० 5/77 में किया गया है, का उपयोग करने की अनुमति देता हूं जिसका प्रयोग वे पश्चिम बंगाल समाहर्तालय के अपने सम्बन्धित कार्य क्षेत्र में करेंगे।

[अधिसूचना सं० 5/के०उ०/1977/सी० सं० IV(16) 12-के०उ०/प०बं०/77]

ए० के० भौमिक, समाहर्ता

Collectorate of Central Excise and Customs, West Bengal

CENTRAL EXCISE

Calcutta, the 9th April, 1977

S.O. 1614.—In exercise of the powers conferred upon me under rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, do hereby empower the Central Excise Officer not below the rank of Superintendent of Central Excise to exercise the power of the Collector of Central Excise in his respective jurisdiction of West Bengal Collectorate in so far as granting of relaxation of the time limit of 24 hours laid down in Sub-rule (2) of Rule 173-O and Sub-rule (1) of Rule 185 of the Central Excise Rules, 1944 as amended under Notification No. 5/77-CE dated 29-1-77 is concerned

[Notification No. 5/CE/1977 C. No IV(16)12-CE/WB/77]

A. K. BHOWMIK, Collector

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली 31 दिसम्बर, 1976

आयकर

का०आ 1615—आयकर अधिनियम 1961 का (1961 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का, प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 748 (फा० सं० 261/7/74-आई टी जे) तारीख 10 अक्तूबर, 1974 में निम्नलिखित संशोधन और करती है —

क्रम सं० 6 पर सहायक आयकर आयुक्त (अपील) रेंज जबलपुर के सामने स्तम्भ 3 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा,

"26 आई टी ओ रीवा"

यह अधिसूचना 1-1-1977 से प्रभावी है।

[सं० 1605/फा० सं० 261/19/76-आई०टी०जे०]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 31st December, 1976

INCOME-TAX

S.O. 1615.—In exercise of the powers conferred by section (1) of Section 122 of the Income tax Act, 1961(43 of 1961) and of all other enabling powers in this behalf, the Central Board of Direct Taxes, New Delhi hereby direct the following further amendment in the Schedule appended to the Notification No. 748 (F. No. 261/7/74-ITJ) dated the 10th October 1974 as amended from time to time :—

Against AAC Jabalpur Range, Jabalpur at Serial No. 6 there shall be added the following under column No. 3:—

"26. ITO, Rewa".

This Notification shall take effect from 1-1-77.

[No. 1605 F. No. 261/19/76-ITJ]

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1977

आयकर

का० आ० 1616.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची में स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों बोर्डों और जिलों में आयकर या आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

क्रम	रेंज	आयकर सर्किल वार्ड और जिले
1	2	3
1. पटना रेंज, पटना।		(i) विशेष सर्किल, पटना।
		(ii) वार्ड क, ख, ग, घ, और ङ सर्किल पटना।
		(iii) आई० टी० ओ०, सर्वे, पटना।
		(iv) विशेष अन्वेषण सर्किल, पटना।
		(v) पटना का वार्ड (i), (ii) और (iii), पटना।
		(vi) पटना-II का वार्ड (i) (ii) और (iii)
		(vii) विशेष सर्किल- पटना।
		(viii) विशेष सर्किल II, पटना।
		(ix) आई० टी० सी० सर्किल-I, पटना।
		(x) आई० टी० सी० सर्किल-II, पटना।
		(xi) आई० टी० सी० सर्किल बेगूसराय।
2. मुंगेर रेंज, पटना		(i) विशेष सम्पदा शुल्क एवं आयकर सर्किल पटना।
		(ii) शाहाबाद सर्किल, आरा।
		(iii) आयकर सर्किल, सासाराम।
		(iv) आयकर सर्किल, पटना, आयकर सर्किल, वार्ड क, ख, ग, घ, और ङ को छोड़ कर।
		(v) आयकर सर्किल, नालन्दा।
		(vi) आयकर सर्किल- II, पटना।
		(vii) आयकर सर्किल, पुर्णिया।
3. मुजफ्फरपुर रेंज		(i) आयकर सर्किल, मुजफ्फरपुर।
		(ii) विशेष सर्किल, मुजफ्फरपुर।
		(iii) आयकर सर्किल, मोतीहारी।
		(iv) आयकर सर्किल, बेतिया।
		(v) आयकर सर्किल, छपरा।
		(vi) आयकर अधिकारी सर्वेक्षण, मुजफ्फरपुर।
		(vii) आयकर सर्किल, सहारसा।
4. भागलपुर रेंज		(i) आयकर सर्किल, भागलपुर।
		(ii) आयकर सर्किल, मुंगेर।
		(iii) आयकर सर्किल, बेगूसराय।
5. रांची रेंज		(i) आयकर सर्किल, रांची।
		(ii) विशेष सर्किल, रांची।
		(iii) विशेष आयकर एवं सम्पदा शुल्क सर्किल, रांची।
		(iv) वेतन सर्किल, रांची।
		(v) आयकर अधिकारी सर्वेक्षण, रांची।
6. दरभंगा रेंज		(i) आयकर सर्किल, दरभंगा।
7. धनबाद रेंज		(i) आयकर सर्किल-I, धनबाद।
		(ii) आयकर सर्किल-II, धनबाद।
		(iii) विशेष सर्किल, धनबाद।
		(iv) आयकर सर्किल, बोकारो सी० एस० सिटी।
		(v) आयकर अधिकारी, सर्वे, धनबाद।
		(vi) आयकर सर्किल, गिरीडीह।
		(vii) आयकर सर्किल, हजारीबाग।
		(viii) आयकर सर्किल, डाल्टनगंज।
		(ix) आयकर सर्किल, गया।
8. जमशेदपुर रेंज		(i) आयकर सर्किल, जमशेदपुर।
		(ii) विशेष सर्किल, जमशेदपुर।
		(iii) वेतन सर्किल, जमशेदपुर।
		(iv) आयकर अधिकारी सर्वे जमशेदपुर।

जहां कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है, वहां उस आयकर सर्किल वार्ड या जिले या उसके भाग को किये गये निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लम्बित अपीलें, उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है सहायक आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना 17-1-1977 से प्रभावी होगी।

[सं० 1625(फा० सं० 261/3/77-आई०टी० जे०)]

New Delhi, the 15th January 1977

INCOME-TAX

S.O.1616 —In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the previous Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax circles, Wards or District Specified in the corresponding entry in column 3 thereof.

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles, Wards, and Distt.
(1)	(2)	(3)
1.	A-Range, Patna.	(i) Special Circle, Patna. (ii) Wards, A.B.C.D. & E of I.T. Circle, Patna. (iii) I.T.O., Survey, Patna. (iv) Special Investigation Circle Patna. (v) Wards, (i), (ii) & (iii) of Patna-I, Patna. (vi) Wards (i), (ii) & (iii) of Patna-II. (vii) Special Circle-I, Patna. (viii) Special Circle II, Patna. (ix) I.T. Circle- I, Patna. (x) I.T. Circle II, Patna. (xi) I.T. Circle, Begusarai.
2.	B- Range, Patna	(i) Special F.D.-Cum-I.T. Circle, Patna. (ii) Shahabad Circle, Arrah. (iii) I.T. Circle, Sasaram. (iv) I.T. Circle, Patna excluding Wards-A, B. C. D & E of I.T. Circle, Patna. (v) I.T. Circle, Nalanda. (vi) I.T. Circle, III, Patna. (vii) I.T. Circle, Purnea.
3.	Muzaffarpur Range.	(i) I.T. Circle Muzaffarpur. (ii) Special Circle, Muzaffarpur. (iii) I.T. Circle, Motihari. (iv) I.T. Circle, Bettiah. (v) I.T. Circle, Chapra. (vi) I.T.O. Survey, Muzaffarpur (vii) I.T. Circle, Saharsa.
4.	Bhagalpur Range	(i) I.T. Circle, Bhagalpur. (ii) I.T. Circle, Monghyr. (iii) I.T. Circle, Deoghar.
5.	Ranchi Range.	(i) I.T. Circle, Ranchi. (ii) Special Circle Ranchi. (iii) Special E.D. Cum-IT. Circle, Ranchi. (iv) Salary Circle, Ranchi. (v) I.T.O, Survey, Ranchi.
6.	Darbhanga Range.	(i) I.T. Circle Darbhanga.
7.	Dhanbad Range	(i) I.T. Circle, I Dhanbad (ii) I.T. Circle II, Dhandbad. (iii) Special Circle, Dhanbad. (iv) I.T. Circle, Bokare, B.S. City. (v) I.T.O. Survey, Dhanbad. (vi) I.T. Circle Giridih. (vii) I.T. Circle, Hazaribagh. (viii) I.T. Circle, Daltonganj. (ix) I.T. Circle, Gaya.
8.	Jamshedpur Range	(i) I.T. Circle, Jamshedpur. (ii) Special Circle, Jamshedpur. (iii) Salary Circle, Jamshedpur. (iv) I.T.O. Survey, Jamshedpur.

Where an Income-tax Circle, Ward or District of Part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another range, appeal arising out of the assessment made in that Income-tax Circle, Ward or District or part there of and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom the Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof is transferred shall from the date this Notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circlle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 17-1-77.

[No. 1625 (F. No. 261/3/77-ITJ)]

आयकर

का० आ० 1617.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अंशतः उपान्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

क्रम संख्या	रेंज	आयकर सर्किल, वार्ड और जिले
1	2	3
1	ठ रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला III (14), 14 (अतिरिक्त), (25), (25) (अतिरिक्त) (27), (28), (29), (30), (31), (32), (32) अतिरिक्त (33), (34) और 35, नई दिल्ली।
		(ii) सर्वेक्षण सर्किल-III और III अतिरिक्त सर्वेक्षण सर्किल, नई दिल्ली।
		(iii) परिवहन सर्किल प्रथम अतिरिक्त परिवहन सर्किल और द्वितीय अतिरिक्त परिवहन सर्किल, नई दिल्ली।
		(iv) जिला III-वार्ड ज झ ण ट ठ क(1) ट (एल) इ (1), च(1), झ(1) और ट(1) नई दिल्ली।
		(v) विशेष निर्धारण सर्किलों 1, 2, 3, 4 और 9 नई दिल्ली।
		(vi) विशेष सर्वेक्षण सर्किल 2, 3, 4 और 9 नई दिल्ली।
		(vii) आयकर एवं धनकर सर्किल-1, नई दिल्ली।
		(viii) ख-6, ख-7, ख-7 (अतिरिक्त) ख-9 और ख 9 (अति०) नई दिल्ली।

जहां कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है वहां उस आयकर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लम्बित अपीलें, उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है सहायक आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना 17-1-77 से प्रभावी होगी।

[सं० 162 (फा० सं० 261/2/77-आई० टी० जे०)]

SCHEDULE

Sl. No.	Ranges	Income-tax Circles/Wards & Distts
1	2	3
1.	I.- Range, New Delhi.	(i) Distt. III (14), 14 (Addl.) (25), (25) Addl. (27) (28), (29), (30), (31), (32), (32) Addl. (33), (34) & (35) New Delhi.
		(ii) Survey Circle- III & IIIrd Addl. Survey Circle, new Delhi.
		(iii) Transport Circle, 1st Addl. Transport Circle and IInd Addl. Transport Circle, New Delhi.
		(iv) Distt. III- Wards H.I.J. K,L, A (I) C(I)E(I), G(I) I (I) & (K) (I), New Delhi.
		(v) Special Assessment Circles I, II, III, VI, VII, VIII, & X New Delhi.
		(vi) Special Survey Circle-II III, IV & IX New Delhi.
		(vii) Income-tex-cum Wealth-tax Circle-II New Delhi.
		(viii) B-VI, B-VII, B-VII (Addl) B-IX & B-IX (Addl.) New Delhi.

Where an Income-tax Circle, Ward or Districts or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Income-tax of the ranges from whom that Income-tax Circle, ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 17-1-77.

[No. 1624 (F.No. 261/2/77-ITJ)]

INCOME-TAX

S.O. 1617.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf in partial modification of all previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of the persons and incomes assessed to Income Tax or Super Tax in the income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in Col. 3 thereof :—

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1977

आयकर

का० आ० 1618—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अंशत: उपांतरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची में स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वार्डों

और जिलों में आयकर या अधिकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

क्रम संख्या	रेंज	आयकर सर्किल, वार्ड और जिले
1	2	3
1	'ज' रेंज नई दिल्ली	(i) कन्ट्रैक्टर्स सर्किल, नई दिल्ली
2	'छ' रेंज नई दिल्ली	(i) कम्पनी सर्किल, 17, 18 नई दिल्ली (ii) विशेष सर्किल 2, 2 (अतिरिक्त) नई दिल्ली (iii) न्यास सर्किल, नई दिल्ली। (iv) आयकर एवं सम्पदा कर सर्किल, नई दिल्ली (v) अतिरिक्त सम्पदा शुल्क एवं आयकर सर्किल, नई दिल्ली ।
3	3 विशेष रेंज नई दिल्ली	(i) कम्पनी सर्किल, 1, 4, 6, 9, 21 और 22 नई दिल्ली (ii) डी० II जिला नई दिल्ली। (iii) वकील सर्किल, नई दिल्ली (iv) जिला 6(1) (अतिरिक्त)(2)(3),, (4), (5) (6), (6) (अतिरिक्त) (7), (7) (अतिरिक्त) (8) (9) (10) (10) (अतिरिक्त), (11), (12), (13) (14), और (15) नई दिल्ली (v) जिला IV, वार्ड, क(अतिरिक्त), क (I), क (II), ख (अतिरिक्त), (ग), (ग) अतिरिक्त, ग(I), ग-1 (अतिरिक्त), घ और क, नई दिल्ली
4.	विशेष रेंज IV नई दिल्ली	(i) कम्पनी सर्किल, 5, 8 और 11 नई दिल्ली (ii) विशेष सर्किल, 1, 1(अतिरिक्त), और 9 नई दिल्ली ।

जहां कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है वहां उस आयकर सर्किल वार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयकर आयुक्त, (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लम्बित अपीलें, उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है सहायक आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना 7-2-77 से प्रभावी होगी।

[सं० 1651/(फा० सं० 261/2/77-आई० टी० ए०)]

एस० रामास्वामी, अवर सचिव।

INCOME-TAX

New Delhi 7th February, 1977

S.O 1618.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of all previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of the persons and incomes assessed to Income-tax or Super Tax in the Income-tax Circles, Wards, and Districts specified in the corresponding entry in Col. 3 thereof :—

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles/Wards & & Distts.
1	2	3
1	'H' Range, New Delhi .	(i) Contractors' Circles, New Delhi.
2.	'G' Range, New Delhi	(i) Companies Circles-XVII, XVIII, New Delhi (ii) Special Circle-II, II (Addl.), New Delhi. (iii) Trust Circles, New Delhi. (iv) Income-tax-cum Estate Duty Circle New Delhi. (v) Addl. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, New, Delhi.
3.	Special Range-II, New Delhi.	(i) Companies Circles-I, IV, VI, IX, XXI, & XXII New Delhi. (ii) D-II, District, New Delhi. (iii) Lawyers' Circles, New Delhi. (iv) Distt. VI (1), (1) (Addl, (2), (3), (4), (5), (6)(6) (Addl.), (7), (7) (Addl.), (8), (9), (10), (10) (Addl.), (11), (12), (13), (14) & (15), New Delhi. (v) Distt. VI, Wards A, A(Addl.), A(I), A(II), B (Addl.), (C), (C) Addl., C(1), C(I) (Addl.), D&E, New Delhi.
4.	Special Range-IV, New Delhi.	(i) Companies Circles V, VIII & XI, New Delhi. (ii) Special Circles-I, I(Addl.), VII & IX, New Delhi.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, Appeals arising out of the assessments made in that income-tax Circle, Wards or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Income-tax of the ranges from whom that Income-tax Circle, Wards or Districts or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the

Appellate Assistant Commissioner of the range to whom the said circle Ward or District or part thereof is transferred

This notification shall take effect from 7-2-77.

[No. 1651 (F.No. 261/2/77-ITJ)]

S. RAMASWAMY, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1977

आयकर

का०आ० 1619.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को आंशिक उपान्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर सर्किल, वार्ड और जिले
1.	केन्द्रीय रेंज, 1, नई दिल्ली	(क) केन्द्रीय सर्किल 5, 7, 8, 9, 11, 12 और 14 नई दिल्ली (ख) केन्द्रीय सर्किल, श्रीनगर
2.	केन्द्रीय रेंज-2, नई दिल्ली	(क) केन्द्रीय सर्किल 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13 और 15, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय रेंज, मेरठ	(क) केन्द्रीय सर्किल 1, 2, 3, और 4 मेरठ

जहां कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है, वहां उस आयकर सर्किल वार्ड या जिले या उसके भाग में किये गये निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लम्बित अपीलें, उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है सहायक आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जायेगी।

यह अधिसूचना 1-2-77 से प्रभावी होगी।

[सं० 1646(फा० सं० 261/1/77-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 1st February, 1977

INCOME-TAX

S.O. 1619.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of all previous notification in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their function in respect of the person and income assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the Corresponding entry in column 3 thereof :

SCHEDULE

S. No.	Range	Income-tax Circle, Wards & Districts
1	2	3
1.	Central Range-I, New Delhi.	(a) Central Circles-V, VII, VIII, IX, XI, XII and XIV, New Delhi. (b) Central Circles, Srinagar.
2.	Central Range-II, New Delhi.	(a) Central Circles I, II, III, IV, VI, X, XIII and XV, New Delhi.
3.	Central Range, Meerut.	(a) Central Circles I, II, III IV, Meerut.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one range to another range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges from whom that Income-tax Circle Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-2-77.

[No. 1646 (F. No 261/1/77-I(TJ]

आयकर

का० आ० 1620—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1311 तारीख 31-5-76 फा० सं० 261/11/76-आई० टी० जे० में उपाबद्ध अनुसूची II में निम्नलिखित संशोधन करता है।

अनुसूची II में

(1) क्रम सं० 15 के सामने स्तम्भ 2 और 3 में 'क' रेंज आसनसोल के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 2	स्तम्भ 3
आसनसोल रेंज आसनसोल	1 आसनसोल 2 बांकुरा 3 पुरुलिया 4 मिदनापुर

(2) क्रम सं० 16 के सामने स्तम्भ 2 और 3 में 'ख' रेंज आसनसोल के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 2	स्तम्भ 3
बर्दवान रेंज बर्दवान	1. बर्दवान 2 बीरभूमि 3. हुगली

यह आदेश 1-2-77 से प्रभावी है।

[सं० 1647 (फा० सं० 261/4/77-आई०टी०जे०)]

पी० मिश्रा, अवर सचिव

INCOME-TAX

S.O. 1620.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments to the Schedule-II appended to its Notification No. 1341 dated 31-5-76 in F. No. 261/11/76-ITJ as amended from time to time.

SCHEDULE-II

(1) Against serial 45 for 'A' Range, Asansol in Columns 2 and 3, the following shall be substituted :

Column 2	Column 3
Asansol Range, Asansol.	1. Asansol 2. Bankura 3. Purulia 4. Midnapore

(2) Against serial 46 for 'B' Range, Asansol in Columns 2 & 3, the following shall be substituted :

Column 2	Column 3
Burdwan Range, Burdwan.	1. Burdwan 2. Birbhun 3. Hooghly

This order shall take effect from 1-2-1977.

[No. 1647 (F.No. 261/4/77-ITJ)]
P. MISRA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय, कलकत्ता

कलकत्ता, 14 फरवरी, 1977

आदेश

का० आ० 1621.—सर्वश्री मनोहर लाल महबीर प्रसाद, 178, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-7 को अप्रैल—मार्च 76 की अवधि के लिये निम्नलिखित लाइसेंस प्रदान किया गया था—

लाइसेंस संख्या और दिनांक	माल का विवरण	मूल्य
पी०/ई०/2411840/सी०/एक्स एक्स/57/सी०/41-42, दिनांक 27-10-75	परिशिष्ट 26 के अनुसार मोटर वाहनों के पुर्जे।	1,250 रुपये

पार्टी ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क, प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि के लिये यह बताते हुए आवेदन किया है कि वे किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये बिना और बिल्कुल उपयोग किये बिना ही खो गई है। अब अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 1,250 रुपये की धनराशि के उपयोग के लिये चाहिये।

अपने तर्क के समर्थन में फर्म ने महानगरीय मजिस्ट्रेट, कलकत्ता द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या पी०/ई/2411840/सी०/एक्स एक्स/57/सी०/41-42, दिनांक 27-10-75 की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द किये बिना, गिरवी रखे बिना किसी भी प्रयोजन के लिये किसी अन्य पार्टी को हस्तान्तरित किये बिना या सौंपे बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को पूरे मूल्य 1,250 रुपये के लिये उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जाये।

[सं० ई-1/20945/6/ए० एम०/76]
राबर्ट बारा, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports,

Calcutta, the 14th February, 1977

ORDER

S.O. 1621.—M/s. Manoharlal Mahabir Prasad, 178, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-7 was granted licence for the period April—March 76 as under :

Licence No. & Date	Description of goods	Value
P/E/2411840/C/XX/C/57/41-42 dt. 27-10-75	Motor Vehicle parts as per appendix 26	Rs. 1250

The party has applied for duplicate Customs Purpose Copy and Exchange Control Copy of the above licence stating that the same has been lost without having been registered with any Customs Authority and unutilised at all. The duplicate Customs Purpose Copy and Exchange Control Copy are now required for utilisation of the amount of Rs. 1250.

In support of this contention the firm have filed an affidavit on a stamp paper duly attested by the Metropolitan Magistrate, Calcutta.

I am satisfied that the Customs Purpose Copy and Exchange Control Copy of licence No. P/E/2411840/C/XX/57/C/41-42 dt. 27-10-75 has been lost/misplaced without having been cancelled, pledged, transferred or handed over to any other party for any purpose & direct to issue duplicate Customs Purpose Copy and Exchange Control Copy of the aforesaid licence to the applicant for the full value of Rs. 1250.

[No. E.I./20945/6/AM/76]
R. BARA, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller.

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, 9 मई, 1977

आदेश

का० आ० 1622.—सर्वश्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, रायसेन रोड, पिपलानी भोपाल (म० प्र०) को 75,227 रुपये (पचहत्तर हजार दो सौ सत्ताईस रुपये मात्र) के लिये एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० आई/जे/3045861 एल/एम एन/61/एच/11-11 दिनांक 25-11-1976 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना डाक पारगमन में खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9 (सी० सी०) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० भोपाल को जारी किये गये सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० आई/जे/3045864/एन/एम एन/61/एच/43-44 दि० 25-11-1976 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

सीमा शुल्क निकासी परमिट की एक अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[सं० एच० ई० एल०/15/76-77/पी० एल० एस० (ए०)]

एल० प्रसाद, उप मुख्य नियंत्रक,

कृते मुख्य नियंत्रक

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi, the 6th May, 1977

S.O. 1622.—M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Raisen Road, Piplani, Bhopal (MP) were granted a Custom Clearance Permit No. I/J/3045864/N/MN 61/H/43-44 dated 25th November, 1976 for Rs. 75,227/- (Rupees Seventy five thousand two hundred & twenty seven only). They have applied for the issue of a duplicate copy of the said Customs Clearance Permit on the ground that the original has been lost/misplaced in postal transit without having been registered with any Customs authority.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit duly sworn before Notary. I am accordingly satisfied that the original Custom Clearance Permit has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said Custom Clearance Permit No. I/J/3045864/N/MN/61/H/43-44 dated 25-11-1976 issued to M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Bhopal is hereby cancelled.

A duplicate Custom Clearance Permit is being issued separately.

[No. HEL 15/76-77/PLS(A)]

L. PRASAD, Dy. Chief Controller for Chief Controller

नई दिल्ली, 12 मई, 1977

आदेश

का० आ० 1623.—मैसर्स डेली नवज्योति नरेन्द्र हाउस स्टेशन रोड, जोबनेर बाग जयपुर को 14,740 रुपये (चौदह हजार सात सौ चालीस रुपये मात्र) के लिये एक आयात ला० सं० पी०/ए/1414158/सी/एक्स एक्स/56/एच/41-42 दि० 1-9-75 प्रदान किया गया था उन्होंने उपर्युक्त ला० की सीमा शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं। आगे यह भी उल्लेख किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति बम्बई में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से पंजीकृत कराई गई थी। इसका 9,483/— रुपये (नौ हजार चार सौ तिरासी रुपये मात्र) के लिये प्रयोग कर लिया गया था और इसमें 5,257 रुपये (पांच हजार दो सौ रुपये सत्तावन रुपये मात्र) की धनराशि का उपयोग करना शेष था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त ला० की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिये यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दि० 7-12-55 की उपधारा 9(सीसी) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री डेली नवज्योति, जयपुर को जारी किये गये ला० सं० पी० ए०1414158/सी०/एक्सएक्स/56/एच०/41-42 दिनांक 1-9-75 की सीमा शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती हैं।

3. उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही हैं।

[सं० 115-वी०/एन०-4/75-76 एन० पी० एस०/50]

चन्द्रगुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक,

New Delhi, the 12th May, 1977

ORDER

S.O. 1623.—M/s. Daily Navajyoti, Narendra House, Station Road, Jobner Bag, Jaipur were granted an import licence No. P/A/1414158/C/XX/56/H/41-42 dated 1-9-75 for Rs. 14,740/- (Rupees Fourteen thousand and seven hundred and forty only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes and Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes & Exchange Control Purpose copies have been lost. It is further stated that the Original Customs Purposes/Exchange Control copy was registered with the Customs authorities at Bombay. It was utilised for Rs. 9,483/- (Nine thousand four hundred and eighty three only) and the balance available on it was Rs. 5257/- (Rupee Five thousand two hundred and fifty seven only).

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes and Exchange Control Purpose Copy of the said licence have been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended the said original Customs Purposes & Exchange Control Purposes copies licence No. P/A/1414158/C/XX/56/H/41-42 dated 1-9-75 issued to M/s. Daily Navajyoti, Jaipur are hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes/Exchange Control Purposes copies of the said licence are being issued separately to the licence.

[No. 115-V/N-4/75-76/NPS/50]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

नई दिल्ली, 16 मई, 1977

आदेश

का० आ० 1624.—दि स्टेट केमिकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से संसिलिक एसिड/मेटा क्रेसोल इत्यादि का आयात करने के लिये 1,00,00,000 रुपये मूल्य के लिये एक आयात लाइसेंस सं० जी०/टी०/21 0695, दिनांक 17-5-76 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति उनसे खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया है कि लाइसेंस भारत में बम्बई पत्तन में पंजीकृत कराया गया था और आंशिक रूप से 77,11,240

रुपये तक उपयोग में लाया गया था। अब सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति की आवश्यकता शेष धनराशि 22,88,760 रुपये के लिये है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि लाइसेंस सं० जी०/टी/2420695, दिनांक 17-5-76 की सीमाशुल्क प्रति खो गई है तथा निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति उनको जारी की जानी चाहिये। लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[स कैपका/-/76-77/आर० एम० सैल/297]

एन० ए० काहली, उप-मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 16th May, 1977

ORDER

S.O. 1624.—The State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Ltd., New Delhi, were granted an import licence No G/I/2420695 dated 17-5-76 for the import of Cresylic Acid/Meta Cresol etc. from G C A for the value of Rs 1,00 00,000 - They have requested for the issue of the duplicate Customs copy of the above licence on the ground that the original Customs copy of the above licence has been lost/misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence has been registered with Bombay Port in India and partly utilised to the extent of Rs 77,11,240/- The duplicate Customs copy now required is to cover the balance of Rs 22,88,760/-.

In support of their contention the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that Customs copy of the licence No G I/2420695 dt 17-5-76 has been lost and directs that duplicate Customs copy of the said licence should be issued to them The Customs copy of the licence is hereby cancelled.

Duplicate Customs copy of the licence is being issued separately

[File No CAPCO/5/76-77/RM Cell 297]

N. A. KOHLY, Dy. Chief Controller.

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1977

का० आ० 1625—केन्द्रीय सरकार, बहुएकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 5ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 775 तारीख 30 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 13 और उससे सम्बन्ध प्रविष्टियों को प्रविष्टि (1) के रूप में पुन संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन संख्यांकित क्रम संख्या और प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अधिकारी	बहु एकक सहकारी सोसाइटी
2	3
(i) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, भरतपुर खंड, भरतपुर	सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां, जो राजस्थान के अलवर, भरतपुर और सवाईमधोपुर जिलों में वास्तव में रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती है।

[स० एल०-11011/2/70-एल० एम०]

के० एस० बाजवा, अवर सचिव।

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

New Delhi, the 20th April, 1977

S.O. 1625.—In exercise of the powers conferred by section 5B of the Multi-unit Co-operative Societies Act, 1942 (6 of 1942) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation) No. S.O. 775, dated the 30th January, 1976, namely :—

In the Table appended to the said notification, Serial No 13 and the entries relating thereto shall be re-numbered as entry (1) and after Serial No. and entry so re-numbered the following shall be inserted, namely :—

Officers	Multi-unit Cooperative Societies
2	3
"(ii) Joint Registrar of Co-operative Socieies, Bharatpur Division, Bharatpur.	All Multi-unit Cooperative Societies which actually are deemed to be registered in Alwar, Bharatpur and Swai-madhopur districts of Rajasthan."

[No. L-11011/2/70-J.&M]

K. S. BAJWA, Under Secy.

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1977-05-09

का० आ० 1626—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी० एम०/एल०-5202 और 5203 जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गये है, लाइसेंसधारी के अपने अनुरोध पर 1977-04-01 से रद्द कर दिये गये है —

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किये गये लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1	सी० एम०/एल-5202 1976-05-10	सर्वश्री बी० आर० हरमन एंड मोहना (उत्तर) प्रा० लि० डी०-ii, फाकल प्वाइंट, ढंढारी (लुधियाना)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)	IS 226-1975 संरचना इस्पात (मानक किस्म) की विशिष्टि (पांचवा पुनरीक्षण)
2	सी० एम०/एल-5203 1976-05-10	"	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)	IS. 1977-1975 संरचना इस्पात (साधारण किस्म) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

[स० सी० एम० डी०/55:5202]

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi the 1977-05-09

S.O.1626—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM/L-5202 and 5203 particulars of which are given below have been cancelled with effect from 1977-04-01 at the request of the party.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-5202 1976-05-10	M/s. B. R. Herman & Mohatta (Uttar) Pvt. Ltd., D-11, Focal Point, Dhandari (Ludhiana)	Structural Steel (Standard Quality).	IS : 226-1975 Specification for Structural Steel (Standard Quality) (Fifth Revision.)
2.	CM/L-5203 1976-05-10	-Do.-	Structural Steel (Ordinary Quality)	IS : 1977-1975 Specification for Structural Steel (Ordinary Quality) (Second Revision).

[No. CMD/55 : 5202]

का० आ० 1627—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी० एम०/एल०-2029, 1028, 4264 और 4386 जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गये है, फर्म के अपने अनुरोध पर 1977-01-01 से रद्द कर दिये गये है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किये गये लाइसेंसों के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी० एम०/एल-2029 1969-07-25	सर्वश्री मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०, बेलापुर, काल्वे, ठाणे (महाराष्ट्र)	कंक्रीट प्रबलन के लिये ठंडी मरोड़ी विकृत इस्पात की सरिया	IS:1786-1966 कंक्रीट प्रबलन के लिये ठंडी मरोड़ी विकृत इस्पात की सरिया की विशिष्ट (पुनरीक्षित)
2.	सी० एम०/एल०-4028 1974-11-07	"	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में पुनः बेल्लन के लिये कार्बन इस्पात के बिलेट—	IS 2831-1975 संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में पुनः बेल्लन के लिये कार्बन इस्पात के बिलेट ब्लूम और सिल्लियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)
3.	सी० एम०/एल०-4264 1975-03-20	सर्वश्री मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०, बेलापुर, काल्वे, ठाणे (महाराष्ट्र)	संरचना इस्पात (उच्च तनाव)	IS.961-1975 संरचना इस्पात (उच्च तनाव) की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)
4.	सी० एम०/एल०-4386 1975-05-15	"	कंक्रीट प्रबलन के लिए मृदु इस्पात और मध्यम तनाव इस्पात की छड़ें	IS:432 (भाग 1)-1966 कंक्रीट प्रबलन के लिए मृदु इस्पात और मध्यम तनाव इस्पात की छड़ो और सख्त खिचे इस्पात के तार की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

[सं० सी० एम० डी०/55:2029]

ए० बी० राव, उप-महानिदेशक

S.O.1627.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM/L-2029, 4028, 4264 and 4386 particulars of which are given below have been cancelled with effect from 1977-01-01 at the request of the firm.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-2029 1969-07-25	M/s. Mukand Iron & Steel Works Ltd., Belapur Road, Kalwe, Thana (Maharashtra).	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement.	IS : 1786-1966 Specification for cold twisted steel bars for concrete reinforcement (Revised).
2.	CM/L-4028 1974-11-05	-Do.-	Carbon steel billets for re-rolling into structural steel (ordinary quality)	IS : 2831-1975 Specification for carbon steel billets, blooms and slabs for rerolling into structural steel (ordinary quality) (Second Revision).
3.	CM/L-4264 1975-03-20	-Do.-	Structural steel (High Tensile)	IS : 961-1975 Specification for structural steel (High Tensile) (Second Revision)
4.	CM/L-4386 1975-05-15	-Do.-	Mild Steel and medium tensile steel bars for concrete reinforcement	IS : 432 (Pt.I)-1966 Specification for mild steel and medium tensile steel bar and hard drawn steel wire for concrete reinforcement Part I mild steel and medium tensile steel bars (Second Revision.)

[No. CMD/55 : 2029]

A. B. RAO, Dy. Director General

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मई, 1977

का० आ० 1628.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुप्ता चौधरी और घोष 8-1ख चौरंगी लेन, कलकत्ता-16 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें।

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(5)/77-पी० एफ-2(1)]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th May, 1977

S.O. 1628.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gupta Chowdhury and Ghosh, 8-IB, Chowringhee Lane, Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S. 35017/5/77-PF.II(i)]

का० आ० 1629.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बन्ध विषय मे आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक नवम्बर, 1976 से मैसर्स गुप्ता चौधरी एंड घोष, 8-1ख, चौरंगी लेन, कलकत्ता-16 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35017(5)/77-पी० एफ०-2(2)]

S.O. 1629.—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of November **1976, the establishment known as Messrs Gupta Chowdhury** and Ghosh, 8-IB Chowringhee Lane, Calcutta-16, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/5/77-PF. II(ii)]

का० आ० 1630.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी० एम० प्लाट इंजीनियर्स एंड कन्सल्टैन्टस (प्राइवेट) लिमिटेड, 46/सी० चौरंगी रोड कलकत्ता-16 जिसमें (1) 503, चर्चगेट चैम्बर्स '5' न्यू मैरिन लाइन्स, मुम्बई-20 और (2) 307 अन्सल भवन, 163 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली स्थित इसकी शाखायें भी सम्मलित है नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० 35017 (11)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1630.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs C N Plant Engineers and Consultants (Private) Limited, 46/6, Chowringhee Road, Calcutta-16 including its branch at (1) 503, Churchgate Chambers, 5, New Marine Lines, Bombay-20 and (2) 307, Ansal Bhavan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1975.

[No. S. 35017/11/77-PF. II]

का० आ० 1631—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मास्ट्रो (इंडिया) (प्राइवेट) लिमिटेड 21ए, शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1, मई 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस० 35017(13)/77-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 1631.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mashstro (India) (Private) Limited, 21A, Shakespeare Sarani, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1975.

[No S. 35017(13)/77-PF. II(i)]

का०आ० 1632.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मई, 1975 से मैसर्स मास्ट्रो (इंडिया) (प्राइवेट) लिमिटेड, 21ए, शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता-17 नामक स्थापन का उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35017(13)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1632.—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of May, 1975 the establishment known as Messrs Mashstro (India) (Private) Limited, 21A, Shakespeare Sarani, Calcutta-17, for the purposes of the said proviso.

No. S. 35017(13)/77-PF.II(ii)]

का० आ० 1633.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कार्डोप्रिंट सप्लाई (प्राइवेट) लिमिटेड, 93/1एम, बैठकखाना रोड, कलकत्ता-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017 (15)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1633.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cardoprint Supply (Private) Limited, 93/1M, Baithakkhanna Road, Calcutta-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1975.

[No. S. 35017(15)/77-PF.II]

का० आ० 1634.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स ईस्ट इंडिया फोटोग्राफिक ट्रेडस एसोसिएशन, 3/1/2, आर्मेनियन स्ट्रीट, कलकत्ता नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 25017(16)/76-पी०एफ०-2]

S.O. 1634.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs East India Photographic Traders Association, 3/1/2, Armenian Street, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35017(16)/76-PF. II]

का० आ० 1635.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स मां काली स्प्रे पेन्टिंग, 16/1, बेलीघाटा मेन रोड, कलकत्ता-10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात

पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1972 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(18)/77-पी०एफ० 2]

S.O. 1635.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ma Kali Spray Painting, 16/1, Beleghata Main Road, Calcutta-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1972.

[No. S. 35017(18)/77-PF. II]

का० आ० 1636.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड 55, स्टीफन हाउस, 4, बी०बी०डी० बाग (ईस्ट), कलकत्ता-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35017(19)/76-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1636.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Global Exports (Private) Limited, 55, Stephen House, 4 B.B.D. Bagh (East), Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1973.

[No. S. 35017(19)/76-PF.II(i)]

का० आ० 1637.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर, 1973 से मेसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 55, स्टीफेन हाउस, 4, बी० बी० डी० बाग (ईस्ट), कलकत्ता-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०35017(19)/76-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1637.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of October, 1973 the establishment known as Messrs Global Exports (Private) Limited, 55, Stephen House, 4, B.B.D. Bagh (East), Calcutta-1, for the porposes of the said proviso.

[No. 35017(19)/76-PF.II(ii)]

का० आ० 1638.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स सिकरी ब्रादर्स (1966) (प्राइवेट) लिमिटेड, 15, शेक्सपियर सरनी, डाक बाक्स सं० 9078, कलकत्ता-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(20)/77-पी०एफ०-2 (i)]

S.O. 1638.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sikri Brothers (1966) (Private) Limited, 15, Shakespeare Sarani, Post Box No. 9078, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35017 (20)/77-PF.II(i)]

का० आ० 1639—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मई, 1976 से मेसर्स सिकरी ब्रादर्स (1966) (प्राइवेट) लिमिटेड, 15, शेक्सपियर सरनी, डाक बाक्स सं० 9078, कलकत्ता-17 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं०एस०-35017(20)/77-पी० एफ०-2 (ii)]

S.O. 1639.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of May, 1976 the establishment known as Messrs Sikri Brothers (1966) Private) Limited, 15, Shakespeare Sarani, Post Box No. 9078, Calcutta-17, for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35017(20)/77-PF. II(ii)]

का० आ० 1640—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स आर० के० मशीनरीज, 49/1, एस०एन० बनर्जी रोड, कलकत्ता-14, जिसमें 83/1, बेलियाघाट मेन रोड, कलकत्ता-10 स्थित उसकी वर्कशाप भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(22)/76-पी०एफ०-2]

S.O. 1640.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs R. K. Machineries, 49/1, S. N. Banerjee Road, Calcutta-14 including its workshop at 83/1, Beliaghata Main Road, Calcutta-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35017(22)/76-PF.II]

का० आ० 1641.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स होबनर म्यूजिकल इन्डस्ट्रीज 2, जय मित्रा घट लेन, कलकत्ता-6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(24)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1641.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishmen known as Messrs Hobner Musical Industries, 2, Jai Mitra Ghat Lane, Calcutta-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1976.

[No. S. 35017(24)/77-PF. II]

का०आ० 1642.—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि वीनस प्रिन्टिंग इंक्स, 243/2-डी, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता-6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना इकत्तीस दिसम्बर, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017 (25)/77-पी०एफ० 2]

S.O. 1642.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Venus Printing Inks 243/2-D, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1974.

[No. S. 35017(25)/77-PF.II]

का०आ० 1643.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बंगाल मेटल वर्क्स, 116 विधान सारणी, कलकत्ता-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35017(26)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1643.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bengal Metal Works, 116 Bidhan Sarani, Calcutta-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35017(26)/77-PF.II]

का० आ० 1644.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी० के० बागला एण्ड कम्पनी 16-ए० ब्राबर्न रोड कलकत्ता-6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(27)/77-पी०एफ०2]

S.O. 1644.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. K. Bagla and Company, 16-A Brabourne Road, Calcutta-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35017(27)/77-PF.II]

का० आ० 1645.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल 1975 से मैसर्स जी० के० इनवेस्टमेंट लिमिटेड 46/सी० चौरंगी रोड (पांचवी मंजिल) कलकत्ता-16 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35017(27)/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1645.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of April, 1975 the establishment known as Messrs G. K. Investments Limited, 46/C, Chowringhee Road, (5th Floor), Calcutta-16, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(33)/77-PF. II(i)]

का० आ० 1646.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जी० के० इनवेस्टमेंटस लिमिटेड 46/सी० चौरंगी रोड, (पांचवी मंजिल) कलकत्ता-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(27)/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1646.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs G. K. Investments Limited, 46/C, Chowringhee Road, (5th Floor), Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April 1975.

[No. S. 35017(27)/77-PF.II(i)]

का० आ० 1647.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952(1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी 1976 से मैसर्स पी० के० बागला एण्ड कम्पनी, 16-ए ब्रोबौर्न रोड कलकत्ता-6 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35017(27)/76-पी०एफ०-2(2)]

S.O. 1647.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1976 the estblishment known as Messrs, P. K. Bagla and Company, 16-A, Brabourne Road, Calcutta-6 for the purposes of the said proviso.

[No. S 35017(27)/76-PF. II(ii)]

का० आ० 1648—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एसोसिएटेड एक्सवेटर्स एण्ड डोजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड 20ए कैमक स्ट्रीट कलकत्ता-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(28)/77-पी०एफ०2(i)]

S.O. 1648.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Associated Excavators and Dozers (Private) Limited, 20A, Camac Street, Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1975.

[No. S 35017(28)/77-PF.II(i)]

का० आ० 1649—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 फरवरी 1975 से मैसर्स एसोसिएटेड एक्सवेटर्स एण्ड डाजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड 20ए कैमक स्ट्रीट कलत्ता-16.

नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35017(28)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1649.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into

the matter, hereby specifies with effect from the first day of February, 1975, the establishment known as Messrs Associated Excavators and Dozers (Private) Limited, 20-A, Camac Street, Calcutta-700016, for the purposes of the said proviso.

[No S-35017(28)/77-PF.II(ii)]

का० आ० 1650—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि दी नार्थ वैस्टर्न कचार टी कम्पनी लिमिटेड, 16ए ब्रैबोर्न रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इक्तीस दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(29)/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1650.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs the North-Western Cachar Tea Company Limited, 16A, Brabourne Road Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1975.

[No. S. 35017(29)/77-PF.II(i)]

का० आ० 1651.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स किरण ज्यूलरी (प्राइवेट) लिमिटेड, 110/1ए, अम्हर्स्ट स्ट्रीट, कलकत्ता-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(31)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1651.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kiron Jewellery (Private) Limited, 110/1A, Amherst Street, Calcutta-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35017/31/77-PF.II]

का० आ० 1652.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुरैया मिनरल्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 9, रवीन्द्र सरणी कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(33)/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1652.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Suraiya Minerals and Chemicals (Private) Limited, 9, Rabindra Sarani, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employes' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1976.

[No. S. 35017(27)/77-PF.II(i)]

का० आ० 1653—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जून, 1976 से मैसर्स सुरैया मिनरल्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 9, रवीन्द्र सरणी, कलकत्ता-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35017(33)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1653.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of June, 1976, the establishment known as Messrs Suraiya Minerals & Chemicals (Private) Limited 9, Rabindra Sarani, Calcutta-I, for the purposes of the said proviso.

[No S. 35017(33)/77-PF. II(ii)]

का० आ० 1654.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लक्ष्मीबाई जीवनदास, 9, रवीन्द्र सरणी, कलकत्ता-73 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(34)/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1654.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Laxmibai Jivandas, 9, Rabindra Sarani, Calcutta-73, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1976.

[No. S. 35017/34/77-PF.II(i)]

का० आ० 1655.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जून, 1976 से मैसर्स लक्ष्मीबाई जीवनदास, 9, रवीन्द्र सरणी, कलकत्ता-73 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35017(34)/77-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1655.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of June, 1976, the establishment known as Messrs Laxmibai Jivandas, 9, Rabindra Sarani, Calcutta-73 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/34/77-PF. II(ii)]

का० आ० 1656.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नीओ-परिसुतन (प्राइवेट) लिमिटेड, 72, हेमचन्द्र नस्कर रोड, कलकत्ता-10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(35)/77 पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1656.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Neo-Parisrutan (Private) Limited, 72, Hemchandra Naskar Road, Calcutta-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1976.

[No. S. 35017/35/77-PF. II(i)]

का०आ० 1657.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 सितम्बर, 1976 से मैसर्स नीओ-परिसुतन (प्राइवेट) लिमिटेड, 73 हेमचन्द्र नस्कर रोड, कलकत्ता-10 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०35017(35)/77-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1657.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1976, the establishment known as Messrs Neo-Parisrutan (Private) Limited, 72, Hemchandra Naskar Road, Calcutta-10, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/35/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1658.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शिव इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, 46, स्ट्रेण्ड रोड, कलकत्ता-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(36)/77-पी०एफ-2(i)]

S.O. 1658.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shiv Investments Limited, 46, Strand Road, Calcutta-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1975.

[No. S. 35017/36/77-PF. II(i)]

का० आ० 1659.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1975 से मैसर्स शिव इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, 46, स्ट्रेण्ड रोड, कलकत्ता-7 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०-35017(36)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1659.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of

July, 1975, the establishment known as Messrs Shiv Investments Limited, 46, Strand Road, Calcutta-7, for the purposes of the said proviso.

[No S. 35017(36)/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1660.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडिया फिटिंग मैन्युफैक्चर्स, 3, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अत., अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(39)/77 पी०एफ०-2]

S.O. 1660.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs India Fitting Manufactures, 3, Netaji Subhas Road, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1975.

[No. S. 35017(39)/77-PF. II]

का०आ० 1661.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चेंगमरी टी कम्पनी लिमिटेड, 16ए, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(40)/77-पी०एफ०2(i)]

S.O. 1661.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chengmari Tea Company Limited, 16A, Brabourne Road, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1975.

[No S 35017(40)/77-PF II(i)]

का०आ० 1662.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1975 से मैसर्स चेंगमरी टी कम्पनी लिमिटेड, 16ए, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०35017(40)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1662.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of December, 1975 the establishment known as Messrs Chengmari Tea Company, Limited, 16A, Brabourne Road, Calcutta-1, for the purposes of the said proviso.

[No S 35017(40)/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1663.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1976 से मैसर्स जे०के० अम्ब्रेला एक्सेसरीज इण्डस्ट्रीज, 17, आर्मीनियन स्ट्रीट, कलकत्ता-1 जिसमें इसकी 30, सेलेन्धर मार्ग, लिलुआ, हावड़ा स्थित शाखा सम्मिलित है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35017(43)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1663.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1976, the establishment known as Messrs J. K. Umbrella Accessories Industries, 17, Armenian Street, Calcutta-1, including its Factory at 30, Sailandhar Road, Liluah, Howrah, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(43)/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1664.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अलायंस इंजीनियरी वर्क्स, 79, लेनिन सरणी, कलकत्ता-13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(45)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1664.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Alliance

Engineering Works, 79, Lenin Sarani, Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1975.

[No. S. 35017(45)/77-PF. II]

का०आ० 1665 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोरो चेम, 10, नांडू इण्डस्ट्रियल एस्टेट, महाकाली रोड, अन्धेरी (पूर्वी) मुम्बई-93, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(1)/77-पी०एफ-2]

S.O. 1665.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Coro-Chem, 10, Nandu Industrial Estate, Mahakali Road, Andheri (East), Bombay-93, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35017(1)/77-PF. II]

का०आ० 1666. यतः—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कास्टवेल, एजेन्सीज ए०-56 एम० आई०डी०सी० मरोल इन्डस्ट्रियल एस्टेट, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-93 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(2)/77-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1666.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Castwell Agencies, A-56, M.I.D.C. Marol Industrial Estate, Andheri (East), Bombay-93, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1975.

[No. S. 35018(2)/77-PF. II(i)]

का०आ० 1667.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 सितम्बर, 1975 से मैसर्स कास्टवेल एजेन्सीज ए-56, एम०आई०डी०सी० मरोल इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई-93 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35018(2)/77-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 1667.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1975 the establishment known as Messrs Castwell Agencies, A-56, M.I.D.C. Marol Industrial Estate, Andheri (East), Bombay-93, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(2)/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1668.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आई सी सी ट्रेडिंग लिमिटेड, 49, दालामल चैम्बर्स, 17 न्यू मैरिन लाइन्स मुम्बई,-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35018(3)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1668.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs ICC Trading Ltd., 49, Dalamal Chambers, 17, New Marine Lines, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1975.

[No. S. 35018(3)/77-PF. II]

का०आ० 1669.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी कैन्टीन, नवीन प्रशासनिक भवन, बैकबे रेक्लेमेशन, मुम्बई-32, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018/4/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1669.—*Whereas it appears to the Central Government* that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs State Bank of Indian Staff Canteen, New Administrative Buildings, Backbay Reclamation, Bombay-32, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1976.

No. S. 35018/4/77-PF. II]

का०आ० 1670.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शरद इन्टर प्राइज कैलकोट हाउस 8/10 टामरिड लेन, मुम्बई-23 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018/5/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1670.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sharad Enterprises, Calcot House, 8/10, Tamarind Lane, Bombay-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 35018/5/77-PF. I(i)]

का०आ० 1671.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1976 से मैसर्स शरद इन्टर-प्राइजेज कैलकोट हाउस 8/10 टामरिड लेन मुम्बई-23 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/5/77-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1671.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1976 the establishment known as Messrs Sharad Enterprises, Calcot House, 8/10, Tamarind Lane, Bombay-23, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/5/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1672.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डाक्टर खडेपार्कर्स नर्सिंग होम, "भाग्य लक्ष्मी" 157 सर भलचन्द्र रोड, हिन्दू कालोनी, दादर, मुम्बई-14 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/6/77-पी०एफ-2]

S.O. 1672.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dr. Khandeparkar's Nursing Home, 'Bhagya Laxmi,' 157, Sir Bhalchandra Road, Hindu Colony, Dadar, Bombay 14, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1976.

[No. S. 35018/6/77-PF. II]

का०आ० 1673—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साधना नाइट्रो, केमिकल लिमिटिड आइ०बी०आई०हाउस एम-86 अन्धेरी, कुरला रोड, मुम्बई, जिसमें 47 एस०आई०डी०सी० इन्डस्ट्रियल एरिया रोहा, जिला कोलाबा गांव खातव महाराष्ट्र स्थित इसका कारखाना भी सम्मिलित है । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/7/पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1673.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sadhana Nitro Chem Limited, I.B.I. House S-86 Andheri Kurla Road, Bombay including its factory at 47, M.I.D.C. Industrial Area Roha District Kolaba, Village Bhatav, Maharashtra, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1975.

[No. S. 35018/7/77-PF. II(i)]

का० आ० 1674.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जुलाई, 1975 से मैसर्स साधना नाइट्रो केमिकल लिमिटेड आई० बी०आई०हाउस एस०-86 अन्धेरी कुरला रोड, मुम्बई जिसमें 47, एम०आई०डी०सी० इन्डस्ट्रियल एरिआई रोहा कोलावा गांव धातव, महाराष्ट्र स्थित इसका कारखाना भी सम्मिलित है । नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०-35018/7/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1674.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st day of July, 1975 the establishment known as Messrs Sadhana Nitro Chem Limited, I.B.I. house S-86 Andheri Kurla Road, Bombay including its factory at 47, M.I.D.C Industrial Area, Roha District Kolaba, Village Dhatav, Maharashtra for the purposes of the said proviso.

No. S. 35018/7/77-PF. II(ii)]

का० आ० 1675.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डियन फाइबर बैग मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, मित्तल एस्टेट एम० वसंजी रोड मरोल भाषा के निकट, अन्धेरी (पूर्वी) मुम्बई-59 जिसमें लेन्टिव चम्बर्स दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-1 स्थित उसका मुख्य कार्यालय भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31-1-75 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018/8/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1675.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to establishment known as Messrs India Fibre Bag Manufacturing Company, Mittal Estate, M. Vasanji Road, Near Marol Maka, Andheri (East), Bombay-59 including its Head Office at Lentin Chambers, Dalal Street, Bombay 1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1975.

[No. S. 35018/8/77-PF. II]

का० आ० 1676.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामचन्द्र एंड शेख 23-बी अंजीरवाडी, मझगांव, मुम्बई-10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मई, 1975 को प्रवृत्त समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018/9/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1676.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ramchandra and Shaikh, 32-B, Anjirwadi, Mazagaon, Bombay-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of May, 1975.

[No. S. 35018/9/77-PF. II]

का०आ० 1677.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजीव लेदर इन्डस्ट्रीज पूनावाला चाल धारवी, मुम्बई-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं :

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018/10/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1677.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajiv Leather Industries, Poonawala Chawl, Dharavi, Bombay-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1975.

[No. S. 35018/10/77-PF. II]

का० आ० 1678.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स संतोष लेदर कारपोरेशन, कल्याणवाड़ी धारवी, मुम्बई-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018/12/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1678.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Santosh Leather Corporation, Kalyan Wadi, Dharavi, Bombay-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1975.

[No. S. 35018/12/77-PF. II]

का० आ० 1679.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्डियन सोप एण्ड टुवाइलैट्रीज मेकर्स, एसोसिएशन, सातवीं मंजिल (टेरेस) दलिमाल चैम्बर्स, 17, न्यू मैरिन लाइन्स, मुम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35018(13)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1679.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indian Soap and Toiletries Makers' Association, 7th Floor (Tarrace), Dalamal Chambers,17, New Marine Lines Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No S. 35018(13)/77-PF. II]

31 GI/77—4

का० आ० 1680.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस०एस० स्टील प्रासेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुरलीमल श्री कृष्णदास कम्पाउण्ड, 37-ए आगरा रोड भांडुप, मुम्बई जिसमें 205, संततुकाराम रोड मुम्बई 19 स्थित इसका कारखाना भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०-35018/14/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1680.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. S. Steel Processers Private Limited, Murlimal Shrikishandas Compound, 37-A, Agra Road, Bhandup, Bombay including its factory at 205, Sant Tukaram Road, Bombay-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1975.

[No. S. 35018/14/77-PF.II]

का० आ० 1681.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयेश पैकर्स, मुम्बई सॉ मिल्स कम्पाउण्ड ई०एस० पाटनवाला मार्ग, घोरुपदेव मुम्बई-33 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35018/15/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1681.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jayesh Packers, Bombay Saw Mills Compound, E S. Patanwala Marg, Ghorupdeo, Bombay-33, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1975.

[No. S. 35018, 15/77-PF.II]

का०आ० 1682.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मास्टर ग्राफसैट प्रिंटर्स एनेस्ली रोड डी वार्ड म्युनिसिपल कार्यालय के सामने लेमिंगटन रोड से लगा हुआ मुम्बई-7, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०35018/16/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1682.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Master Offset Printers 4-A, Annesly Road, Opposite 'D' Ward Municipal Office, Off Lamington Road, Bombay-7 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1975.

[No. S. 35018/16/77-PF.II]

का०आ० 1683.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रायनो सील्स 4 के०आर० ग्री० एन० ट्रस्ट एस्टेट आरे रोड सेपो, गोरेगांव (ईस्ट) मुम्बई-63, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ;

यह अधिसूचना इकतीस दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०35018/17/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1683.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ryno Seals, 4, K.R.O.N. Trust Estate, Off Aarey Road, Goregaon (East), Bombay-63, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1975.

[No. S. 35018/17/77-PF.II]

का०आ० 1684.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कम्पाउन्ड पाइप स्टाफ फीड्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया 165/166, बैकबे रिक्लेमेशन, मुम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है। कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना इकतीस दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०35018/18/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1684.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Compound Livestock Feeds Manufacturers Association of India 165/166, Backbay Reclamation, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1975.

[No. S. 35018/18/77-PF.II]

का०आ० 1685.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री पिक्चर्स 'भावना' पहली मंजिल, -422 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना, 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०35018/20/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1685.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shri Pictures, 1st Floor, 422, Savarkar Road, Bombay-25, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/20/77-PF.II(i)]

का०आ० 1686.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स श्री पिक्चर्स

'भावना' पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड मुम्बई-25 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018/20/77-पी०एफ-2(ii)]

S.O. 1686.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of April, 1976, the establishment known as Messrs. Shri Pictures, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/20/77-PF.II(ii)]

का०आ० 1687.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रवी पिक्चर्स 'भावना' पहली मंजिल 422 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018/21/77-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 1687.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ravi Pictures, 'Bhavana', 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay-25 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/21/77-PF.II(i)]

का० आ० 1688.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक अप्रैल, 1976 से मैसर्स रवी पिक्चर्स 'भावना' पहली मंजिल, 422, सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018/21/77-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 1688.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of April, 1976, the establishment known as Messrs Ravi Pictures, 'Bhavana' 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay-25, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/21/77-PF.II(ii)]

का० आ० 1689.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उर्मिला पिक्चर्स, 'भावना' पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड, मुम्बई नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35018/23/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1689.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Urmila Pictures "Bhavana", 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay, have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/23/77-PF.II(i)]

का०आ० 1690.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स उर्मिला पिक्चर्स "भावना" पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018/23/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1690.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of April, 1976, the establishment known as Messrs Urmila Pictures, "Bhavana", 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay-25, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/23/77-PF.II(ii)]

का०आ० 1691.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजश्री प्रोडक्शन्स, 'भावना' पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड, मुम्बई 25, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018/24/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1691.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajshri Productions, 'Bhavana', 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay-25, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/24/77-PF.II(i)]

का०आ० 1692.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स राजश्री प्रोडक्सन्स 'भावना' पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/24/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1692.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976, the establishment known as Messrs Rajshri Provisions 'Bhavana', 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay-25 for the puruposes of the said proviso.

[No. S. 35018/24/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1693.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मंजूश्री फिलम्स, 'भावना' पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड मुम्बई-25 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना, एक अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/25/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1693.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manjushri Films, 'Bhavana', 1st Floor, 422, Savarkar Road, Bombay-25, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/25/77-PF.II(i)]

का०आ० 1694.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक अप्रैल, 1976 से मैसर्स मंजूश्री फिलम्स 'भावना' पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/25/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1694.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs Manjushri Films, 'Bhavana' 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay-25, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/25/77-PF.II(ii)]

का०आ० 1695.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक अप्रैल, 1976 से मैसर्स सूरज पिक्चर्स 'भावना' पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एम० 35018/26/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1695.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976, the establishment known as Messrs. Suraj Pictures, 'Bhavana', 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay-25 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/26/77-PF.II]

का०आ० 1696.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सूरज पिक्चर्स 'भावना' पहली मंजिल, 422 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35018/26/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1696.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Suraj Pictures, 'Bhavana' 1st Floor, 422 Savarkar Road, Bombay-25, have agreed that the provisions of the Empployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/26/77-PF. II(i)]

का०आ० 1697.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सरगम पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 'भवाना' 422, सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना, एक अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35018/27/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1697.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sargam Pictures (Private) Limited, 'Bhavana' 422, Savarkar Road, Bombay-25 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April 1976

[No. S 35018/27/77-PF II(i)]

का०आ० 1698.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अजित फिल्मस, "भावना", 122 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35018/28/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1698.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ajit Films, 'Bhavana' 422, Savarkar Road, Bombay-25, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds nd Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976

[No. S. 35018/28/77-PF II(i)]

का०आ० 1699.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स अजित फिल्मस "भावना" 422 सावरकर रोड, मुम्बई-25 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/28/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1699.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs Ajit Films 'Bhavana' 422, Savarkar Road, Bombay-25, for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35018/28/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1709.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक जुलाई, 1976 से मैसर्स विनोद एसोशिएट्स, 8/10, तमारिन्द गली, मुम्बई-23 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/29/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1700.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1976, the establishment known as Messrs Vinod Associates, 8/10, Tamarind Lane, Bombay-23, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/29/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1701.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् तीस सितम्बर, 1975 से मैसर्स टेप ट्यूब एंड एलाइड प्रोडक्ट्स 113/114, बजाज भवन, ग्यारहवीं मंजिल, नारिमन प्वाइंट-मुम्बई नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018/30/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1701.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of September, 1975, the establishment known as Messrs Tap Tube and Allied Products, 113/114, Bajaj Bhavan, 11th Floor, Nariman Point, Bombay for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/30/77-PF. II(ii)]

का० आ० 1702.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स युनिवर्सल स्टार्च केमिकल एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 11 मुम्बई मुचुअल एनेक्सी तीसरी मंजिल रुस्तम सिद्धवा मार्ग मुम्बई-400001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1972 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35018(83)/76-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1702.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs. Universal Strach Chem. Allied Products Limited, 11, Bombay Mutual Annexe, 2nd Floor, Rustom Sidhva Marg, Bombay-400001 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1972.

[No. S. 35018(83)/74-PF. II(i)]

का० आ० 1703.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर 1972 से मैसर्स यूनिवर्सल स्टार्च केमिकल एलाएड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 11 मुम्बई मुचुएल एनेक्सी, तीसरी मंजिल रुस्तम सिद्धवा मार्ग, मुम्बई, 400001 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018(83)/74-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 1703.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the thirty first day of December, 1972, the establishment known as Messrs Universal Starch Chem. Allied Products Limited, 11, Bombay Mutual Annexe, 2nd Floor, Rustom Sidhva Marg, Bombay-400001 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(83)/74-PF. II(ii)]

का० आ० 1704.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केमिकल ट्रेडिंग कम्पनी XXX/1655 एम० जी० रोड, कोचिन 16, एर्नाकुलम, कनयन्नुर तालुक एर्नाकुलम जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(7)/77-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 1704.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chemical Trading Company, XXX/1655, M. G. Road, Cochin-16, Ernakulam Village, Kanyannur Taluk, Ernakulam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019(7)/77-PF. II(i)]

का० आ० 1705 —केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1976 से मैसर्स केमिकल ट्रेडिंग कम्पनी XXX/1655 एम० जी० रोड, कोचिन-16 एर्नाकुलम गांव, कनयन्नुर तालुक, एर्नाकुलम जिला नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(7)/77-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 1705.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the 31st day of December, 1976 establishment known as Messrs. Chemical Trading Company, XXX/1655, M. G. Road, Cochin-16, Ernakulam village, Kanyannur Taluk, Erakulam District for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(7)/77-PF. II(ii)]

का० आ० 1706 —यत केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होना है कि मैसर्स होटल श्री विजय गार्डेन्स, मेन रोड, विशाखापत्तनम, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/10/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1706.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Hotel Sri Vijaya Gardens, Main Road, Visakhapatnam have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1976

[No S 35019(7)77-PF. II(ii)]

का० आ० 1707 —यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बालाजी बिन्नीज टेक्सटाइल्स प्रथम अग्रहरण, सलेम-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/26/77-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 1707.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Balaji Binny's Textiles, First Agraharam Salem-I, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Prvisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S 35019/26/77-PF II(i)]

का० आ० 1708 —केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 अप्रैल, 1976 से मसर्स बालाजी बिन्नीज टेक्सटाइल्स, प्रथम अग्रहरण, सलेम-1, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019/26//77-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 1708.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs Balaji Binny's Textile First Agraharam, Salem, for the purposes of the said proviso

[No S 35019/26/77-PF II(ii)]

का० आ० 1709 —यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैलको विद्यालय केअर दि मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि० मेत्तूर डैम-2 सलेम जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/28/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1709.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Malco Vidyalaya Care The Madras Aluminium Company Limited, Mettur Dam-2, Salem District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S. 35019/28/77-PF. II]

का० आ० 1710 —यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनिमैक्स लैबोरेट्रीज प्लोट सं० 7, सेक्टर-24, फरीदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/29/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1710.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Unimax Laboratories, Plot No. 7, Sector 24, Faridabad, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of October, 1976.

[No. S. 35019/29/77-PF. II]

का० आ० 1711.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विनोद एसोशिएट्स, कालकोट हाउस, 8/10, तमारिन्द गली, मुम्बई-23 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018/29/77-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 1711.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vinod Associates, Calcot House, 8/10, Tamarind Lane, Bombay-23, have

agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 35019/29/77-PF II(i)]

का० आ० 1712.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टैप ट्यूब एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, 113/114, बजाज भवन, ग्यारहवीं मंजिल, नारिमन प्वाइन्ट, मुम्बई नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/30/77-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 1712.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tap Tube and Allied Products, 113/114, Bajaj Bhavan, 11th Floor, Nariman Point, Bombay have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1975.

[No. S. 35018/30/77-PF II(i)]

का० आ० 1713.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होटल मोती महल, मेन रोड, विशाखापत्तनम, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/36/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1713.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Moti Mahal, Main Road, Visakhapatnam, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S. 35019/36/77-PF. II]

का० आ० 1714.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विकास टैक्सटाइल्स उद्योगनगर, उधना, जिला सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०/35019(44)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1714.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vikas Textiles, Udyognagar, Udhna, District Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act on the thirtieth day of September, 1977.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1977.

[No. S. 35019(44)/77-PF. II]

का० आ० 1715.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टेडियम क्लब (ब्रह्मानन्द रेड्डी स्टेडियम) गुन्टूर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/52/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1715.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Stadium Club (Brahmananda Reddy Stadium), Guntur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S. 35019/52/77-PF. II]

का०आ० 1716—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयभारत प्रिंटिंग प्रेस, कल्लाई रोड, कालिकट-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(64)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1716.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jayabharath Printing Press, Kallai Road, Calcutta-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January 1977.

[No. S. 35019/64/77-PF. II]

का० आ० 1717—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रमन मेडिकल सर्विसेज अशोका क्लिनिक, मंडी मोहल्ला, मैसूर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(66)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1717.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raman Medical Services, Ashoka Clinic, Mandi Mohalla, Mysore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35019(66)/77-PF. II]

का० आ० 1718—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रमन मेडिकल सर्विसेज, नर्सिंग एवं मेटर्निटी होम, के० एम० पुरम, मैसूर-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(67)/77-पी० एफ० 2]

S.O. 1718.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raman Medical Services, Nursing and Maternity Home, K. M. Puram, Mysore-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35018/67/77-PF. II]

का०आ० 1719.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री कृष्णा केफे, कामराज डोबुल रोड, मैसूर-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(68)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1719.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Krishna Cafe, Chamaraja Double Road, Mysore-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 35019/68/77-PF. II]

का० आ० 1720.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एफ्रो एशियन कांउन्सिल आफ यूनानी एडुकेशन मैसूर-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो

गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019(69)/77-पी० एफ०2]

S.O. 1720.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Afro Asian Council of Unani Education, Mysore-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S 35019/69/77-PF. II]

का० आ० 1721.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कर्नाटक इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, 1478 कृष्णामूर्ति-पुरम, मैसूर-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019(70)/77-पी० एफ० 2]

S.O. 1721.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Karnataka Indian Medicine Practitioners' Association, 1478, Krishnamurthypuram, Mysore-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35019/70/77-PF. II]

का० आ० 1722.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स रमन मेडिकल सर्विसेज, अशोक क्लीनिक, त्यागराजा रोड, मैसूर-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019(71)/77-पी० एफ०2]

S.O. 1722.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raman Medical Services, Ashoka Clinic, Thyagaraja Road, Mysore-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35019/71/77-PF. II]

का० आ० 1723.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चैरिटीज इन्टर नेशनल, 1478 कृष्णामूर्ति पुरम, मैसूर-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019(72)/77-पी० एफ०2]

S.O. 1723.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Charitables International, 1478, Krishnamurthy Puram, Mysore-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35019/72/77-PF. II]

का० आ० 1724.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रमन मेडिकल सर्विस, अशोक क्लिनिक, धनवन्तरी रोड, मैसूर-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019(73)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1724.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raman Medical Service, Ashoka Clinic, Dhanawantry Road, Mysore-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976

[No. S. 35019/73/77-PF. II]

का०आ० 1725.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लक्ष्मी चित्र मंदिर, बिजापुर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019(74)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1725.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Laxmi Chitra Mandir, Bijapur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S. 35019 74/77-PF. II]

का०आ० 1726.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोजी थियेटर्स, पथिक आश्रम के सामने, पालनपुर जिला बनासकांठा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 11 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019(75)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1726.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cosy Theatres, Opposite Pathik Ashram, Palanpur, District, Banaskantha, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35019/75/77-PF. II]

का०आ० 1727.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुरुदत्त इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लाट सं० 10, विठ्ठल उद्योगनगर, तालुक आनन्द, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(76)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1727.—Wheres it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gurudatta Engineering Works, Plot No. 10, Vithal Udhyognagar, Taluk Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in execercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/76/77-PF. II]

का०आ० 1728.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैपिटल इंजीनियरिंग कम्पनी, लोटिया भगोल आनन्द, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना इकतीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(77)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1728.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Capital Engineering Company, Lotia Bhagol, Anand District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019(77)/77-PF. II]

का०आ० 1729.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वर्कवेल इंजीनियरिंग कम्पनी, बलियाकाका रोड, आनन्द, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकत्तीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०35019/78(77)पी०एफ०-2]

S.O. 1729.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Workwell Engineering Company, Baliakaka Road, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019/78/77-PF. II]

का०आ० 1730.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग एंड आयरन वर्क्स बालियाकाका रोड, आनन्द जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०35019(79)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1730.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs National Engineering and Iron Works, Baliakaka Road, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S 35019/79/77-PF. II]

का०आ० 1731.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैपिटल कलर कम्पनी, लोटिया भागोल, आनन्द, जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना, 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०35019(80)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1731.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Capital Colour Company, Lotia Bhagol, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/80/77-PF. II]

का०आ० 1732.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पटेल ट्रक फैक्टरी स्टेशन रोड, आनन्द जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०35019(81)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1732.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Patel Truck Factory, Station Road, Anand, District Karia, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019/81/77-PF. II]

का०आ० 1733.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेंड एण्ड ई० सिन्डीकेट पोस्ट बाक्स नं० 18, टी०सी० रोड, तेलीचेरी-1 तेलीचेरी ग्राम, तेलीचेरी, तालुक जिला कन्नानौर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 195- (19 2 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(82)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1733.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rand and E Syndicate, Post Box No. 18, T.C. Road, Tellicherry-1, Tellicherry Village, Tellicherry Taluk, Cannanore District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1977.

[No. 35019(82)/77PF. II]

का०आ० 1734.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फाइन कास्ट, 133/134, विठ्ठल उद्योगनगर, वल्लभ विद्यानगर, तालुक आनन्द, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(83)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1734.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fine Cast, 133/134, Vithal Udhyognagar, Vallabh Vidhyanagar, Taluk Anand, District Kaira have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No S 35019 83 /77-PF.II]

का०आ० 1735.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैपिटल आटोमोबाइल्स लोटिया भागोल, पेट्रोल पम्प के पास आनन्द, जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना, 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(84)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1735.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Capital Automobiles, Lotia Bhagol, Near Petrol Pump, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019(84)/77-PF.II]

का०आ० 1736.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मयूर ब्रदर्स, बालिया काका रोड, आनन्द, जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०/35019(85)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1736.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mayur Brothers, Baliakaka Road, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/85/77-PF.II]

का०आ० 1737.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स योगी इंजीनियरिंग एण्ड आयरन वर्क्स, बालियाकाका रोड, आनन्द जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019/86/77-पीएफ-2]

S.O. 1737.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yogi Engineering and Iron Works, Baliakaka Road, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019/86/77-PF.II]

का०आ० 1738.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डेयरी मशिकन फैब्रिक्स, 154 जी० आई० डी० सी, विठ्ठल उद्योगनगर, वल्लभ विद्यानगर, तालुक आनन्द, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(87)/77-पीएफ०-2]

S.O. 1738.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dairy Mashkin Fabriks, 154, G.I.D.C. Vithal Udhyognagar, Vallabh Vidyanagar, Taluk Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/87/77-PF.II]

का० आ० 1739— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब स्पन पाइप कम्पनी, बालोंगी ग्राम, डाक घर टाउन, तेहसील खटार, जिला रोपड़, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना, एक जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019/88/77 पी०एफ०-2]

S.O. 1739.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Punjab Spun Pipe Company, Balongi Village, Post Office Daun, Tehsil Kharar, District Ropar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S. 35019/88/77-PF. II]

का०आ० 1740.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स युनिवर्सल फ्यूज्ड क्वार्टरी एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स (प्राइवट) लिमिटेड, गोकुल एक्सटेन्शन बंगलोर-25, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/91/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1740.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Universal Fused Quartry and Allied Products (Private) Limited, Gokula Extension, Bangalore-25, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S. 35019 91/77-PF.II]

का०आ० 1741.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होटल अलंकार, रेलवे स्टेशन के सामने, अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो

गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना तीस नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/92/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1741.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Alankar, Opposite Railway Station, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made aplicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976

[No. S. 35019/92/77-PF.II]

का०आ० 1742.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अमरजोथी पेरियास्वामी गाउन्डर इन्वेस्टमेंट स० 179-180 जवाहर बाजार, कारूर-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(93)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1742.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Amarjothi Periaswamy Gounder Investments, 179-180 Jawahar Bazar, Karur-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019/93/77-PF.II]

का०आ० 1743.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी०ए०पी० कुमारस्वामी मुदालियर एण्ड सन्स, विविंग फैक्टरी, पो०बा०न० 12, करूर ट्रिची जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1951 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/94/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1743.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. A. P. Kumaraswamy Mudaliar and Sons Weaving Factory Post Box No. 12, Karur, Trichy District, have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S 35019/94/77-PF.II]

का०आ० 1744.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उषा ब्रेको रोपवेज लिमिटेड टाटी सिलवाई रांची नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं० एस० 35019/95/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1744.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Usha Braco Ropeways Limited. Tatisilwaiy Ranchi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S 35019/95/77-PF.II(i)]

का०आ० 1745.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् मैसर्स उषा ब्रेको रोपवेज लिमिटेड, टाटी सिलवाई, रांची नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019/95/पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1745.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1973, the establishment known as Messrs. Usha Breco Ropeways Limited, Tatisilwai Ranchi, for the purposes of the said proviso.

[No S. 35019/95/77-PF.II(ii)]

का०आ० 1746.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मनरकट्ट ब्रादर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, टी०डी० रोड, कोचीन, 11, एर्नाकुलम गांव, कनयानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध

नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जनवरी 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(96)/77 पी०एफ०-2]

S.O. 1746.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manarakattu Brothers (Private) Limited, T.D. Road, Cochin-11, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1977.

[No. S. 35019(96)/77-PF. II]

का०आ० 1747.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मीनाक्षी, पंकजकुमार पटेल, प्लाट सं० 15 वैशाली सिनेमा के सामने वराछा रोड, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(98)/77 पी०एफ०-2]

S.O. 1747.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Minaxi Pankajkumar Patel, Plot, No. 15, Opposite Vaishali Cinema, Varachha Road, Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019(98)/77-PF. II]

का०आ० 1748.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शारदाबेन जयेन्द्रलाल पटेल, प्लाट सं० 1, ग्राउन्ड फ्लोर वैशाली सिनेमा के सामने, वराछा रोड, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना तीस नवम्बर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(99)/77/पी०एफ०-2]

S.O. 1748.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shardaben Jayendralal Patel Plot No. 1, Ground Floor, Opposite Vaishali Cinema, Varachha Road Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/99/77-PF. II]

का०आ० 1749.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोहिनी बेन नवीनचन्द्र पटेल, प्लाट सं० 15, वैशाली सिनेमा के सामने, वराछा रोड सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(100)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1749.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rohiniben Navinchandra Patel Plot No. 15, Opposite Vaishali Cinema Varachha Road Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/100/77-PF. II]

का०आ० 1750.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हीरालाल बाबू भाई डेरीवाला, प्लाट सं० 15 वैशाली सिनेमा के सामने वराछा रोड सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(101)/77 पी०एफ०-2]

S.O.. 1750.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hiralal Balubhai Jariwala, Plot No. 15, Opposite Vaishali Cinema, Varachha Road Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/101/77-PF. II]

का० आ० 1751—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारत वीविंग वर्क्स 15-नटवर रबर कम्पाउण्ड वरछा रोड सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (102)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1751.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharat Weaving Works, 15, Natwar Rubber Compound, Varachha Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/102/77-PF. II]

का० आ० 1752—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गायत्री टैक्सटाइल्स 15 नटवर रबर कम्पाउण्ड वरछा रोड सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/103/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1752—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gayatri Textiles, 15, Natwar Rubber Compound, Varachha Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019(103)/77-PF.

का० आ० 1753.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साधना टैक्सटाइल्स 15 नटवर रबर कम्पाउण्ड वरछा रोड सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (104)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1753.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sadhana Textiles, 15, Natwar Rubber Compound, Varachha Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. 35019(104)/77-PF. II]

का० आ० 1754.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लक्ष्मी ट्विस्टिंग वर्क्स 15 नटवर रबर कम्पाउण्ड वरछा रोड सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (105)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1754.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Laxmi Twisting Works, 15, Natwar Rubber Compound, Varachha Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act,

1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019(105)/77-PF. II]

का०आ० 1755—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंकज वाइंडिंग वर्क्स 15 नटवर रबर कंपाउण्ड वरच्छा रोड सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (106)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1755.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pankaj Winding Works, 15, Natwar Rubber Compound, Varachha Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No.35019(106)/77-PF. II]

का०आ० 1756—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नन्दी फैब्रिक्स, लाल दरवाजा, पटेल वाड़ी, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (107)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1756—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nandi Fabrics Lal Darwaja, Patel Wadi, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019(107)/77-PF. II]

का०आ० 1757—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नैलेश सिल्क ट्रेडर्स, पटेल वाड़ी, लाल दरवाजा, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (108)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1757.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nailesh Silk Traders, Patel Wadi, Lal Darwaja, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/108/77-PF. II]

का०आ० 1758—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नवीन ट्विस्टिंग वर्क्स, पटेल वाड़ी, लाल दरवाजा, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (109)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1758.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Navin Twisting Works, Patel Wadi, Lal Darwaja, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/109/77-PF. II]

का०आ० 1759—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भावना टैक्सटाइल्स, मेन रोड, गोल्डेन पेण्ट्स के पीछे, उधना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (110)/77-पी०एफ० 2]

S.O. 1759.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bhavna Textiles, Main Road, Behind Golden Paints, Udhna, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicale to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/110/77-PF. II]

का०आ० 1760.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरशद टैक्सटाइल्स, मेन रोड, गोल्डेन पेंट्स के पीछे, उधना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (111)/77-पी०एफ० 2]

S.O. 1760.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harshad Textiles, Main Road, Behind Golden Paints, Udhna, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/111/77-PF. II]

का०आ० 1761.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स संजय टैक्सटाइल्स गोल्डेन पेन्ट्स के पीछे, मेन रोड, उधना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (112)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1761.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sanjay Textiles, Behind Golden Paints, Main Road, Udhna, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/112/77-PF. II]

का०आ० 1762.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लक्ष्मी ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग वर्क्स, मेन रोड, गोल्डन पेन्ट्स के पीछे, उधना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (113)/77-पी०एफ० 2]

S.O. 1762.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Laxmi Twisting and Warping Works, Main Road, Behind Golden Paints, Udhna, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No S. 35019/113/77-PF. II]

का०आ० 1763—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओनेस्ट टिवस्टिंग वर्क्स, गोल्डन पेन्ट्स के पीछे, मेन रोड, उधना, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकतीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (114)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1763.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Honest Twisting Works, Behind Golden Paints, Main Road, Udhna, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019/114/77-PF. II]

का०आ० 1764.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईश्वर ब्रैड इलास्टिक वर्क्स, 202/2, उधना भेस्टन रोड, अमृत भवन, पेट्रोल पम्प के सामने, उधना, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (115)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1764.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ishwar Braid Elastic Works, 202/2, Udhna Bhestan Road, Amrut Bhavan, Opposite Petrol Pump, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/115/77-PF. II]

का०आ० 1765.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तारोबन अविन्दलाल उधना भेस्टन रोड, अमृत भवन, पेट्रोल पम्प के सामने, उधना, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना तीस नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एस० 35019 (116)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1765.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tarabcn Arvindlal, Udhna Bhestan Road, Amrut Bhavan, Opposite Petrol Pump, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/116/77-PF. II]

का०आ० 1766.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे० के० इण्डस्ट्रीज, सलाबतपुर, डोरियावाड़, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एस० 35019 (117)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1766.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs J. K. Industries, Salabatpura, Dorjawad, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976.

[No. S. 35019(117)/77-PF. II]

का०आ० 1767—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी०एम० सिल्क मिल्स, बेगमपुरा, किकवाला, वाटी, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (120)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1767.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. B. M. Silk Mills, Begampura, Kinkhabwala wadi, Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S-35019(120)/77-PF. II]

का० आ० 1768.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माटू वाइंडिंग वर्क्स मेन रोड काशीवाला एस्टेट उधना, जिला सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (121)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1768.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Matu Winding Works, Main Road, Kashiwala Estate, Udhna, District Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019(121)/77-PF. II]

का० आ० 1769.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मंजुला वाइंडिंग वर्क्स उधना मेन रोड राशीवाला एस्टेट, उधना जिला सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(122)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1769.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manjula Winding Works, Udhna Main Road, Rashiwala Estate, Udhna, District Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/122/77-PF. II]

का० आ० 1770.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स भारत वीविंग वर्क्स वस्तीवाला एस्टेट उधना मेन रोड उधना सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (123)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1770.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharat Weaving Works, Bastiwala Estate, Udhna Main Road, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/123/77-PF. II]

का० आ० 1771.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जादव ट्विस्टिंग वर्क्स उधना मेन रोड राशीवाला एस्टेट उधना, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (124)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1771.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jadava Twisting Works, Udhna Main Road, Rashiwala Estate, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/124/77-PF. II]

का० आ० 1772—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गंगा ट्विस्टिंग वर्क्स उधना मेन रोड राशिवाला एस्टेट उधना सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (125)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1772.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ganga Twisting Works, Udhna Main Road, Rashiwala Estate, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/125/77-PF. II]

का० आ० 1773.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दलपत वीविंग वर्क्स राशिवाला एस्टेट उधना मेन रोड उधना सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (126)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1773.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dalpat Weaving Works, Rashiwala Estate, Udhna Main Road, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S 35019(126)/77-PF. II]

का० आ० 1774.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तरुण वाइंडिंग वर्क्स उधना मेन रोड, राशिवाला एस्टेट, उधना, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[स० एस० 35019/127/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1774.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Taruna Winding Works, Udhna Main Road, Rashiwala Estate, Udhna, Surat, have agreed that the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S 35019/127/77-PF. II]

का० आ० 1775.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अदित ट्विस्टिंग, वर्क्स, राशीवाला एस्टेट उधना, मेन रोड, उधना सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना तीस नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं०एस० 35019(128)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1775.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Adit Twisting Works, Rashiwala Estate, Udhna Main Road, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/128/77-PF. II]

का०आ० 1776.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स हंगा वाइंडिंग वर्क्स, उधना मेन रोड, काणीवाला स्टेट, उधना सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना तीस नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(124)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1776.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hansa Winding Works, Udhna Main Road, Kashiwala Estate, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/129/77-PF. II]

का० आ० 1777.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डीलक्स इन्डस्ट्रीज, डी० 27, उद्योग नगर, नवसारि, जिला बुलसर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं०एस० 35019(130)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1777.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Delux Industries, D-27, Udyognagar, Navasari, District Bulsar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/130/77-PF. II]

का० आ० 1778—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नोबिल इन्डस्ट्रीज, डी-27, उद्योगनगर, नवसारी, जिला बुलसर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकतीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(131)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1778.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Noble Industries, D-27, Udhyognagar, Navsari, District Bulsar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/131/77-PF. II]

का० आ० 1779.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स न्यू यूनाइटेड साईजिंग सर्विस, खटोदरा, जेल दरवाजा के पीछे, एस० सं० 33/2 सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35019(132)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1779.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs New United Sizing Services, Khatodra, Behind Jail Darwaja, S. No. 33/2 Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November 1976.

[No. S-35019/132/77-PF. II]

का० आ० 1780—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है है कि मैसर्स श्री रघुवीर कैमिकल वर्क्स, मारुवास, टावर के निकट, आनन्द, जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(133)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1780.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shri Raghuvir Chemical Works, Maru vas, Near Tower, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/133/77-PF. II]

का० आ० 1781—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री रघुवीर ग्रह उद्योग भन्डार, बलाई काका रोड, आनन्द, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकत्तीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(134)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1781.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shri Raghuvir Gruh Udhyog Bhandar, Baliakaka Road, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/134/77-PF. II]

का० आ० 1782—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लोटस इन्डस्ट्रीज महाबली पुरम रोड, थुराइपक्कम, मद्रास-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए; अत., अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(135)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1782.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lotus Industries, Mahabalipuram Road, Thuraipakkam, Madras-20 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1975.

[No. S. 35019/135/77-PF. II]

का० आ० 1783—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वासुदेव मेनोय एण्ड कम्पनी, न्यू टाउन, कोचीन-2, मत्तनचेरी ग्राम, कोचीन तालुक, एर्नाकुलम जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अत., अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(136)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1783.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vasudeva Shenoy and Company, New Town, Cochin-2, Mattancherry Village, Cochin Taluk, Ernakulam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1977.

[No. S. 35019/136/77-PF. II]

का० आ० 1784—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि पं० हनुमन्थ राव ऐन्ड कम्पनी लाइम मैनुफैक्चरर्स बर्दागुदा सिरपुर कागजनगर, जिला आदिलाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक अक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(137)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1784.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. Hanumanth Rao and Company Lime Manufacturers, Burdaguda Sirpur Kagaznagar, Adilabad District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1976.

[No. S 35019/137/77-PF. II]

का० आ० 1785—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक अक्तूबर, 1976 से मैसर्स

पी० हनुमन्थ राव एण्ड कम्पनी लाइम मैनुफैक्चरर्स, गुरदागुदा, सिरपुर कागजनगर, जिला आदिलाबाद, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(137)/77-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 1785.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1976 the establishment known as Messrs P. Hanumanth Rao and Company Lime Manufacturers, Burdaguda Sirpur Kagaznagar, Adilabad District, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/137/77-PF.II(ii)]

का० आ० 1786—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि जधाराजी अमृतलाल लाइम कन्ट्रैक्टर्स गुरदागुदा, सिरपुर कागजनगर, आदिलाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक अक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(138)/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1786.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jadharaji Amritlal Lime Contractors, Gurdaguda, Sirpur Kagaznagar, Adilabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1976.

[No. S. 35019/138/77-PF.II(i)]

का० आ० 1787—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बन्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक अक्तूबर 1976 से मैसर्स जधाराजी अमृतलाल लाइम कन्ट्रैक्टर्स, गुरदागुदा सिरपुर कागजनगर, आदिलाबाद, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं०एस० 35019(138)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1787.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1976 the establishment known as Messrs. Jadharaji Amritlal Lime Contractors, Gurdaguda, Sirpur Kagaznagar, Adilabad, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/138/77-PF.II(ii)]

का०आ० 1788—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दामोदर राव एण्ड कम्पनी, लाइम कन्ट्रैक्टर्स, गुर्दागुदा, सिरपुर कागजनगर, आदिलाबाद जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[(सं० एस० 35019 (139)/77-पी०एफ०-2 (i)]

S.O. 1788.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. Damodar Rao and Company, Lime Contractors, Gurdaguda, Sirpur Kagaznagar, Adilabad District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1976.

[No. S. 35019/139/77-PF.II(i)]

का० आ० 1789—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बन्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर, 1976 से मैसर्स पी० दामोदर राव एण्ड कम्पनी, लाइम कन्ट्रैक्टर्स, गुर्दागुदा, सिरपुर कागजनगर, आदिलाबाद जिला नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(139)/77-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 1789.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1976, the establishment known as Messrs. P. Damodar Rao and Company, Lime Contractors, Gurdaguda, Sirpur Kagaznagar, Adilabad District, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/139/77-PF.II(ii)]

का० आ० 1790—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री हरीराव एण्ड कम्पनी, लाइम मैन्युफैक्चरर्स, दुर्दागुदा, सिरपुर, कागजनगर, आदिलाबाद जिला नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०एस० 35019 (140) /77-पी-एफ०-2(i)]

S O 1790—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Hari Rao and Company Lime Manufacturers, Burdaguda, Sirpur, Kagaznagar Adilabad District have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1976

[No S 35019/140 77 PF II(ii)]

का० आ० 1791—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर 1976 से मैसर्स श्री हरी राव एण्ड कम्पनी लाइम मैन्युफैचरर्स बूर्दगुदा सिरपुर, कागजनगर, आदिलाबाद जिला नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019 (140)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S O. 1791.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1976 the establishment known as Messrs Shri Hari Rao and Company, Lime Manufacturers, Burdaguda Sirpur Kagaznagar, Adilabad District, for the purposes of the said proviso

[No S 35019/140/77 PF II(ii)]

का आ० 1792—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होटल स्वागत मेन रोड विशाखापत्तनम-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०एस० 35019 (141)/77 पी० एफ० 2]

S.O. 1792.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Swagath, Main Road, Visakhapatnam 1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1976

[No S 35019/141/77-PF II]

का० आ० 1793—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होना है कि मैसर्स दि चिकमं गलूर टाउन कापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चिकमगलूर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(143)/77-पी०एफ०-2]

S O. 1793—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Chickmagalur Town Co-operative Society Limited, Chickmagalur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976

[No S 35019/143/77-PF II]

का०आ० 1794—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लिनम इंजीनियरिंग एन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड मेटागल्ली, मैसूर नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० स० 35019 (144) /77-पी०एफ०-2]

S O. 1794—Whereas it tappears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Linus Engineering Enterprises Private Limited, Metagalli, Mysore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1977

[No S 35019(144)/77 PF II]

का० आ० 1795—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लिटिल इण्डस्ट्रीज 27 एफ इण्डस्ट्रियल सबर्ब मैसूर 9 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम,

1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं०एस०35019(145)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1795.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Little Industries, 27F, Industrial Suburb, Mysore-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019(145)/77-PF.II]

का० आ० 1796—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केलटन मैगनेटिक्स लिमिटेड पोस्ट बाक्स न० 37, मिल रोड कन्नानोर-1 टालिमटम्बा तालुक, कालियासेरी ग्राम, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019 (146)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1796.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kelton Magnetics Limited, Post Box No. 37, Mill Road, Cannanore-1, Talipatamba Taluk, Kalliasseri Village have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the first day of April, 1977.

[No. S. 35019/146/77-PF. II]

का० आ० 1797—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एनके केमिकल एण्ड जेनरल इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, सं० 86, ऐथियेट, मद्रास-58 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक मई, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019 (147)/77-पी०-एफ०2(i)]

S.O. 1797.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Enkay Chemical and General Industries (Private) Limited, No. 86, Athipet, Madras-58, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1974.

[No. S. 35019/147/77-PF II(i)]

का० आ० 1798.—यत केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होना है कि मैसर्स नोवासोनिक इन्डस्ट्रीज, सी-1 ए/3 जी०आई०डी०सी० एस्टेट, ओधव रोड, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(148)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1798.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment knows as Messrs Novosonic Industries, C-1, A/3, G.I.D.C. Estate, Odhav Road, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1974.

[No. S. 35019/148/77-PF.II]

का० आ० 1799.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1976 से मैसर्स मल्टी फोर्ज सुब्रती मुकर्जी रोड, बंगलौर-15 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०35019(150)/77-पी०एफ०-2(ii)]

1799.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of December, 1976 the establishment known as Messrs Multi Forge, Subroto Mukherje Road, Bangalore-15, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/150/77-PF.II(ii)]

का० आ० 1800—यत:, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईस्टर्न टेक्सि कारपोरेशन, सी० सी० एम० बी० रोड, जंकारिया बाई, अल्लेबी, केरल राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(152)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1800.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation, to the establishment known as Messrs Eastern Trading Corporation, C. C. S. B. Road, Zakariah Ward, Aleppey, Kerala State, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/152/77-PF. II]

का० आ० 1801:—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तैयाबी बकेट फैक्ट्री 1, सन शाइन को-आपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट रखियाल, अहमदाबाद-23 जिसमें 3 गेट, अहमदाबाद के पास भी उसकी शाखा सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इक्तीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(153)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1801.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation, to the establishment known as Messrs Tayabi Bucke. Factory, 1, Sun Shine Co-operative Industrial Estate, Rakhial, Ahmedabad-23 including its branch Near Three Gate, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/153/77-PF.II]

का० आ० 1802—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्राइट मोल्डिंग वर्क्स, ब्लाक सं० 11, प्रफुल इन्डस्ट्रियल एस्टेट, अजीत मिल के पीछे, रखियाल रोड, अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(155)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1802.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation, to the establishment known as Messrs Bright Moulding Works, Block No. 11, Praful Industrial Estate, Behind Ajit Mills, Rakhial Road, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1977.

[No. S. 35019/155/77-PF. II]

का० आ० 1803.—यत केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होना है कि मैसर्स उषा इंजीनियरिंग वर्क्स, अजीत मिल के निकट, नीला कम्पाउंड, रखियाल रोड, अहमदाबाद-21 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(156)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1803.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation, to the establishment known as Messrs Usha Engineering Works, Near Ajit Mills, Nila Compound, Rakhial Road, Ahmedabad-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/156/77-PF. II]

का० आ० 1804—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण सम्बद्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् इक्तीस दिसम्बर, 1976 से मैसर्स संशोधन एक्समोटर्स प्राइवेट लिमिटेड देवांग एस्टेट नैशनलहाईवे, डाकघर नौराल, जिला अहमदाबाद जिसमें 205/क अरन चैम्बर्स तारदेव मुम्बई-24 स्थित उसकी शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन को उक्त परन्तु के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(157)/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1804.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Santosh Exports, Private Limited, Davang Estate, National Highway, Post Office Narol, District Ahmedabad including its branch at 205/A, Arun Chambers, Tardeo, Bombay-37 have egreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/157/77-PF. II(i)]

का० आ० 1805—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि संतोष एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, देवांग एस्टेट, नेशनल हाईवे, डाक घर नरोल, जिला अहमदाबाद जिसमें 205/क, अरुण चेम्बर्स टारदेव, मुम्बई-34 स्थित उसकी शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकत्तीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(157)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1805.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of December, 1976, the establishment known as Messrs Santosh Exports (Private) Limited Davang Estate, National Highway, Post-Office Narol District (including its branch at 205/A, Arun Chambers, Tardeo, Bombay-34, Ahmedabad for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/157/77-PF. II(ii)]

का० आ० 1806—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राज होजियरी मिल्स सुप्रभात इण्डस्ट्रियल एस्टेट, बारडोलपुर दरियापुर गेट के बाहर, अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकत्तीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(159)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1806.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raj Hosiery Mills, Suprabhat Industrial Estate, Bardolpura, Outside Dariapur Gate, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/159/77-PF. II]

का० आ० 1807—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स देवीचन्द छगनलाल, शेयर बाजार हॉल के निकट, माणिक चौक, अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(160)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1807.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Devichand Chhaganlal, Near Share Bazar Hall, Manek Chowk, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/160/77-PF. II]

का० आ० 1808—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम्मोफर, 88/2, नरोडा इण्डस्ट्रियल टाउनशिप, डाकघर नरोडा-30, जिला अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(162)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1808.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation, to the establishment known as Messrs Ammofert, 88/2, Naroda Industrial Township, Post Office Naroda-30, District Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/162/77-PF. II]

का० आ० 1809.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वी० जी० टैक्सटाइल्स 52 जी०आई०डी०सी० एस्टेट, ओधव रोड, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकत्तीस दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(164)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1809.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs V. G. Textiles, 52, G.I.D.C. Estate, Odhav Road, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/164/77-PF. II]

का० आ० 1810.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरीलाल अचरतलाल, पंच तीर्थ अपार्टमेन्ट, पाल्डी के सामने, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(166)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1810.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harilal Acharatlal, Opposite Panch Tirth Apartments Paldi, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/166/77-PF. II]

का० आ० 1811.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अडतापास लिमिटेड, हाइवे कालिया अम्बा वरतेज, जिला भावनगर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(168)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1811.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Adtapas Limited. Highway, Kalia Amba, Var.ej. District Bhavnagar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/168/77-PF. II]

का० आ० 1812.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री वल्लभ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, बलियाकाका रोड आनन्द, जिला कैरा, जिसमें (1) सारंगपुर कोठी रंग, अहमदाबाद (2) कछिया पटेलवाडी, अहमदाबादी बाजार, नाडियाड; (3) जी० आई० डी० सी० सं० 2, वल्लभ विद्यानगर में स्थित उसकी शाखाएं भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(172)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1812.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shree Vallabh Transport Company, BalliaKaka Road, Anand, District Kaira, including its branch at (1) Sarangpur, Kothi Rang, Ahmedabad, (2) Kachhiva Patel Wadi, Ahmedabadi Bazar Nadiad (3) G.I.D.C. No. 2 Vallabha Vidhyanagar, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976

[No. S. 35019/172/77-PF. II]

का० आ० 1813.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरविन्द वीविंग फैक्ट्री, गाहालावाडी, बोडावा एस्टेट के निकट कटरगाम, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(173)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1813.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arvind Weaving Factory, Gotalawadi, Near Bodawala Estate, Katargam, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1977.

[No. S. 35019/173/77-PF. II]

का० आ० 1814—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स धरन टेक्सटाइल्स, बोदवाला एस्टेट, कटरगाम रोड़, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(178)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1814.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dharan Textiles, Bodawala Estate, Katargam Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February, 1977.

[No. S. 35019/178/77-PF. II]

का०आ० 1815.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सी० चन्नीलाल नत्थूभाई, बोड़ावाला एस्टेट, कटरगाम, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(180)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1815.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs C. Chunilal Nathubhai, Bodawala Estate, Katargam, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eight day of February, 1977

[No. S. 35019/180/77-PF. II]

का०आ० 1816—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सी० बी० टेक्सटाइल्स, वेद दरवाजा के बाहर, फाटकवाडावादी, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(182)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1816.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs C. B. Textiles, O/S, Ved Darwaja, Fatakadawadi, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/182/77-PF. II]

का० आ० 1817.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स, ओ/एस, वेद दरवाजा, फाटकवाडादी, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(185)/77-पी० एफ०-2[

S.O. 1817.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation, to the establishment known as Messrs Jayshree Textiles, O/S, Ved Darwaja, Fatakawadi, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S 35019/185/77-PF. II]

का० आ० 1818—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयको टेक्सटाइल्स, ओ/एस, वेद दरवाजा, फाटकावाडी, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(186)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1818.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation, to the establishment known as Messrs Jayco Textiles, O/S, Ved Darwaja, Fatakadawadi, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019/186/77-PF. II]

का०आ० 1819—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नवीन टिवस्टिंग वर्क्स, प्लाट सं० 15, मरच्छा रोड, वैशाली सिनेमा के सामने, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(187)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1819.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation, to the establishment known as Messrs Navin Twisting Works, Plot No. 15, Varachha Road, Opposite Vaishali Cinema, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976

[No S. 35019/187/77-PF. II]

का०आ० 1820—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सूरत गैस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, देहली गेट, स्टेशन रोड, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(190)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1820.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Surat Gas Transport Company, Delhi Gate, Station Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S-35019/190/77-PF. II]

का० आ० 1821.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गैस बार एजेंसीज दिल्ली गेट, स्टेशन रोड, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन के लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(191)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 1821.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Gas Bar Agencies, Delhi Gate, Station Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/191/77-PF. II]

का०आ० 1822.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स देवन टैक्सटाइल्स गोटालावाडी, बोदावाला एस्टेट के निकट, कटारगाम, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना इकतीस जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं० एस०-35019(193)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1822.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Devan Textiles, Gotalawadi, Near Bodawala Estate Katargam, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Govrnment hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1977.

[No. S. 35019/193/77-PF. II]

का०आ० 1823.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर० एन० वाइन्डिंग वर्क्स, बोडावाला एस्टेट, कटारगाम रोड, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना अट्ठाइस फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं० एस०-35019(195)/77-पी० एफ०-2]

S.O 1823.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. R N Winding Works, Bodawala Estate, Katargam Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February, 1977.

[No. S 35019/195/77 PF II]

का०आ० 1824.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मासकोट केमिकल वर्क्स बी 81 इन्डस्ट्रियल एस्टेट पीन्या, बंगलौर-40 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(202)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1824.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Mascot Chemical Works, B-81, Industrial Estate Peenya, Bangalore-40, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977

[No. S 35019/202/77-PF. II]

का०आ० 1825.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सर्वोदय शिखण्ड आइस क्रीम भन्डार, अमूल डेरी रोड, आनन्द, जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(204)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1825.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sarvoday Shikhand Ice Cream Bhandar, Amul Dairy Road, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1977.

[No S 35019/204/77-PF II]

का०आ० 1826.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होना है कि मैसर्स लक्ष्मी विलास लाज स्टेशन रोड, आनन्द जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(205)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1826.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Laxmi Vilas Lodge, Station Road, Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1977.

[No. S. 35019/205/77-PF. II]

का०आ० 1827—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टैक्नीकल कंसल्टैन्सी सर्विसेज ग्रोर्गेनाइजेशन आफ कर्नाटक, छठी मंजिल, राष्ट्रोत्थान परिषद् बिल्डिंग, नरुपथुंगा रोड, बंगलौर-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(208)/77-पी०एफ०2-(i)]

S.O. 1827.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Technical Consultancy Services Organisation of Karnataka, 6th Floor, Rashtrothana Parishat Building, Nrupathunga Road, Bangalore-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eight day of February, 1977.

[No. S. 35019/208/77-PF.II(i)]

का०आ० 1828.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 28 फरवरी, 1977 से मैसर्स टेक्नीकल कंसल्टैन्सी सर्विसेज आर्गेनाइजेशन आफ कर्नाटक, छठी मंजिल राष्ट्रोत्थान परिषद बिल्डिंग, नरूपथुंगा रोड, बंगलौर-2 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस०-35019(208)/77 पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 1828.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the twenty-eighth day of February, 1977, the establishment known as Messrs. Technical Consultancy Services Organisation of Karnataka, 6th Floor, Rashtrothana Parishat Building, Nrupathunga Road, Bangalore-2 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/208/77-PF. II(ii)]

का०आ० 1829.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्वीलन डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग टैक्नीशियन्स इन्डस्ट्रियल (वर्कशाप) कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सं० एस० इन्ड क्यू० 300, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डाकघर उमायानल्लोर, क्वीलन जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1977 को प्रवृत्त समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(209)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 1829.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Quilon District Engineering Technicians Industrial Workshop Co-operative Society Limited, No. S. Ind. Q. 3007 Industrial Estate, Post Office Umayanalloor, Quilon District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1977.

[No. S. 35019/209/77-PF. II]

का०आ० 1830.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डैनीसन हाईड्रोलिक्स इण्डिया लिमिटेड, बालानगर हैदराबाद-37 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(211)/77-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 1830.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Denison Hydraulics India Limited, Balanagar, Hyderabad-37, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1976.

[No. S. 35019/211/77-PF. II(i)]

का. आ. 1831.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध

विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1976 से मैसर्स डेनीसन हाईड्रोलिक्स इंडिया लिमिटेड, बालानगर, हैदराबाद-37 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एफ.35019(211)/77-पी.एफ.(2)]

S.O 1831.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March 1976, the establishment known as Messrs Denison Hydraulics India Limited, Balanagar, Hyderabad 37, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/211/77-PF. II(ii)]

का. आ. 1832.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अग्रवाल ऑइल एण्ड दाल मिल्स पंधुराना जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एफ. 35019(213)/77-पी.एफ. 2]

S.O. 1832.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Agarwal Oil and Dal Mills, Pandhurana, District Chhindwara, (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the aid Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S. 35019/213/77-PF. II]

का. आ. 1833.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1976 से मैसर्स आर. पी. डे. कन्ट्रैक्टर इंडस्ट्रियल एस्टेट, 136 एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, भिलाई-1 (म. प्र.) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एफ. 35019(214)/77-पी.एफ. (2)(2)]

S.O. 1833.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1976 the establishment known as Messrs. R. P. Dey Contractor, Industrial Estate, 13/6, M P. Housing Board, Bhilai-I (Madhya Pradesh), for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/214/77-PF. II(ii)]

का.आ. 1834.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स धर्म सिंह ठेकेदार, न्यू खुर्सीपुर, भिलाई (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एफ. 35019(218)/77-पी.एफ. (1)]

S.O. 1834.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Dharam Singh Contractor, New Khursipar, Bhilai (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Govrnment hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1975.

[No. S. 35019/218/77-PF. II(i)]

का. आ. 1835.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 सितम्बर, 1975 से मैसर्स धर्मसिंह ठेकेदार, न्यू खुर्शीपार, भिलाई, (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35019(218)/77-पी. एफ. (2)]

S.O. 1835.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1975 the establishment known as Messrs. Dharam Singh Contractor, New Khursipar, Bhilai (Madhya Pradesh), for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/218/77-PF. II(ii)]

का. आ. 1836.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामनेत विश्वकर्मा कंन्ट्रैक्टर क्वाटर न. 4/एच, स्ट्रीट 24, सैक्टर-11 खुरसीपार भिलाई (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(220)/77-पी.एफ. (1)]

S.O. 1836.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ramnet Vishwakarma Contractor, Quarter No. 4/H, Street 24, Sector-11, Khursipar Bhilai (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1975.

[No. S. 35019/220/77-PF. II(i)]

का.आ. 1837.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 सितम्बर, 1975 से मैसर्स रामनेत विश्वकर्मा कन्ट्रैक्टर क्वाटर सं. 4/एच स्ट्रीट 24 सेक्टर 11 खुरसीपार, भिलाई (म. प्र.) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35019(220)/77-पी.एफ. (2)]

S.O. 1837.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1975 the establishment known as Messrs. Ramnet Vishwakarma Contractor, Quarter No. 4/H, Street 24, Sector 11, Khursipar, Bhilai (Madhya Pradesh), for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/220/77-PF. II(ii)]

का. आ. 1838.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भारत टेक्सटाइल्स जवाहर रोड सं. 3 प्लाट सं. बी-73-74, उद्योग नगर, उधना, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(222)/77-पी.एफ. 2]

S.O. 1838—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharat Textiles Jawahar Road No. 3, Plot No. B-73/74, Udyognagar, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1977.

[No. S-35019/222/77-PF. II]

का. आ. 1839.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री टैक्सटाइल्स प्लाट सं. बी-73/74 जवाहर रोड सं. 3, उद्योग नगर, उधना, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(223)/77पी.एफ. (2)]

S.O. 1839.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shreya Textiles, Plot No. B-73/74, Jawahar Road No. 3, Udyognagar, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1977.

[No. S. 35019/223/77-PF. II]

का. आ. 1840.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि शैलेश टेक्सटाइल्स, प्लाट संख्या बी-73/74, जवाहर मार्ग, संख्या 3, उद्योग नगर, उद्धना, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त समझी जाएगी।

[सं. एस-35019(224)/77-पी.एफ-2]

S.O. 1840.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shailesh Textiles, Plot No. B-73/74, Jawahar Road, No. 3, Udyognagar, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of June, 1977.

[No. S. 35019/224/77 PF. II]

का. आ. 1841.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरियाणा कार्टेज पेपर लिमिटेड, 14/1 माइल स्टोन, मथुरा रोड, फरीदाबाद जिनमें प्लेट न. 6 छठी मंजिल आत्माराम हाउस 1

टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली स्थित उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी सम्मिलित है" नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है" कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है" ।

यह अधिसूचना एक जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35019(375)/76-पी.एफ.2]

S.O. 1841.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Haryana Coated Paper Limited, 14/1, Mile Stone, Mathura Road, Faridabad including its Registered Office at Flat No. 6A, 6th Floor, Atma Ram House, 1, Tolstoy Marg, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June 1976.

[No. S. 35019/375/76-PF. II]

का. आ. 1842.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है" कि मैसर्स कम्पोजिट मिल्क प्लान्ट, पंजाब डेयरी डवलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जाग्रांन रोड, लुधियाना जिसमें लुधियाना जिलों का जिला, कमालपुर, धामोज कारमासार, रामगढ़ सरदारन, अहमदगरु कोट पाखोवाल और संधौर ग्राम में तथा जिला संगरूर के जोरिपाल और मोहलकालन ग्राम में स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित है" । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है" कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है" ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35019(220)/76-पी.एफ. 2]

S.O. 1842.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Composite Milk Plant, Punjab Diary Development Corporation Limited, Jagraon Road, Ludhiana including its branches at Villages of Bija, Kamalpur, Dhamot, Karamsar, Ramgarh Sardaran, Ahmedgarh, Raikot Pakhowal and Sandhaour in District Ludhiana and Villages Jourepal and Mahelkalan in District Sangrur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1975.

[No. S. 35019/455/76-PF. II]

का. आ. 1843.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है" कि मैसर्स इकलेंट कन्स्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड शाही भवन, एक्जीबिशन रोड, पटना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है" कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू कि जाने चाहिएं ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है" ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. 35019(506)/76-पी.एफ. 2(1)]

S.O. 1843.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Eclat Constructions (Private) Limited, Shahi Bhavan, Exhibition Road, Patna, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1974.

[No. S. 35019/506/76-PF. II(i)]

का. आ. 1844.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई 1974 से मैसर्स इकलेंट कन्स्ट्रक्शन्स (प्राइवेट) लि., शाही भवन, एक्जीबीशन रोड, पटना, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है" ।

[सं. एम. 35019(506)/76-पी.एफ.-2(2)]

S.O. 1844.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1974 the establishment known as Messrs. Eclat Constructions (Private) Limited, Shahi Bhavan, Exhibition Road, Patna, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/506/76-PF. II(ii)]

का. आ. 1845.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है" कि मैसर्स त्रावी टैक्सटाइल कारपोरेशन, 25 गोडाउन स्ट्रीट मद्रास-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है" कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(517)/76-पी.एफ.-2 (1)]

S.O. 1845.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dadha Textiles Corporation, 25, Godown Street, Madras-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1975.

[No. S. 35019/517/76 PF. II(i)]

का. आ. 1846.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 दिसम्बर, 1975 से मैसर्स दाधा टैक्सटाइल्स कारपोरेशन, 25 गोडाउन स्ट्रीट, मद्रास-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35019(517)/76पी. एफ. 2 (2)]

S.O. 1846.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of December, 1975 the establishment known as Messrs. Dadha Textiles Corporation, 25, Godown Street, Madras-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/517/76 PF. II(ii)]

का. आ. 1847.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स न्यू के. एस. पेंटिंग वर्क्स, एस/197, इन्डस्ट्रियल एरिया जलन्धर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(521)/76-पी. एफ.-2]

S.O. 1847.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs New K. S. Spray Printing Works, S/197, Industrial Area, Jullundur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S. 35019(521)/76-PF. II]

का. आ. 1848.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बोडालिया सिल्क मिल्स, बी-1, उद्योगनगर, नवसारी, जिला बुलसर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(538)/76-पी. एफ. 2]

S.O. 1848.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bodalia Silk Mills, B. I, Udyognagar, Navsari, District Bulsar have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1976.

[No. S. 35019(538)/76-PF. II]

नई दिल्ली, 16 मई, 1977

का. आ. 1849.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मल्टी फोर्ज, सुब्रतो मुकर्जी रोड, बंगलौर-15 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी।

[सं. एस-35019(150)/77-पी. एफ-2(1)]

New Delhi, the 16th May, 1977

S.O. 1849.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Multi Forge, Subroto Mukherji Road, Bangalore-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1976

[No. S. 35019/150/76-PF. II(i)]

का. आ. 1850.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि आर. पी. डे, कैन्ट्रैक्टर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, 13/6 एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, भिलाई-1 (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस.-35019(214)/77-पी. एफ.-2(1)]

एस. एस. सहस्रनामन, उप सचिव

S.O. 1850.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs R. P. Dey, Contractor Industrial Estate, 13/6, M.P. Housing Board, Bhilai-I (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 35019/214/76-PF. II(i)]

S. S SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

S.O. 1851.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kalipahari Colliery of Ghusick Sub-Area of Eastern Coalfields Limited, Burdwan and their workman, which was received by the Central Government on 7th May, 1977.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Reference No. 7 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kalipahari Colliery of Ghusick Sub-Area of Eastern Coalfields Limited, Burdwan.

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Absent.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Mine

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, vide their Order No. L-19012/48/76-D.III(B)/D.IV(B), dated 28th February, 1977, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Kalipahari Colliery of Ghusick Sub-Area of Eastern Coalfields Limited, Burdwan and their workmen, to this tribunal, for adjudication. The reference reads :

"Whether the management of Kalipahari Colliery of Ghusick Sub-Area of Eastern Coalfields Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan are justified in denying employment to Shrimati Neoti Bourin, Wagon Loader with effect from 17-1-1974 ? If not, to what relief is the said Shrimati Bourin entitled ?"

2. In response to the summons issued to the parties they did not file any written statement. However they settled the dispute vide the application filed before me on 20-4-1977. The terms of settlement are as follows :

"4(a) The Management shall allow Shrimati Neoti Baurin, Casual Wagon Loader, to resume duty within 7 days from the date when the Hon'ble Presiding Officer would accept this compromise petition.

(b) The workmen agree that they shall have no claim whatsoever with regard to any back wages in respect of the concerned workmen for the period of her unemployment from 17-1-1974 to the date when the workman resumes duty as per the settlement and the entire such period will be deemed as leave without pay.

(c) The Management may post the workman when she reports for duty according to this settlement, to the Colliery and the workmen agree that the workman concerned shall report to the Colliery."

3. In the result an award is passed in terms of the above settlement by way of compromise.

Dated, Calcutta,

The 29th April, 1977

E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-19012(48)/76-D II(B)/D-IV(B)]

JAGDISH PRASAD, Desk Officer

का. आ. 1852.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपबन्ध (6) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4698 तारीख 26 नवम्बर, 1976 द्वारा बैंक नोट प्रैस, देवास में सेवा का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 26 नवम्बर, 1976, से छः मास की कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 26 मई, 1977 से छः मास की और कालावधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस. 11017/14/7/6डी. 1(ए)]

S.O. 1852.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4698 dated the 26th

November, 1976, the service in the Bank Note Press, Dewas, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 26th November, 1976;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 26th May, 1977.

[No. S. 11017/14/76-DI(A)]

नई दिल्ली, 18 मई, 1977

का. आ. 1853.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोहा अयस्क खनन उद्योग में सेवा को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची में प्रविष्टि 16 में विनिर्दिष्ट है, लोकहित में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं. एस. 11017/14/76/डी. 1(ए)]

New Delhi, the 18th May, 1977

S.O. 1853.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the service in the Iron Ore Mining industry, which is covered by entry 16 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S. 11017/6/77/DI(A)]

आदेश

का. आ. 1854.—भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्या-461, दिनांक 5 फरवरी, 1963 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, जिसका मुख्यालय मद्रास में स्थित है, के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार थिरु पी. के. सेथुरमण को उपर्युक्त गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है ।

[सं. एस. 11020/10/77/डी. 1 (ए)]

ORDER

S.O. 1854.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Madras constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation S.O. No. 461 dated the 5th February, 1963.

Now therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Thiru P. K. Sethuraman as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S. 11020/10/77/DI(A)]

का. आ. 1855.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4656, तारीख 20 नवम्बर, 1976 द्वारा कोयला उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 27 नवम्बर, 1976 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि को आगे छः मास की कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 27 मई, 1977 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस. 11017/7/77/डी. 1(ए)]

एस. के. नारायणन, डेस्क अधिकारी

S.O. 1855.—Whereas, the Central Government, having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 4656 dated the 20th November, 1976, the Coal Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 27th November, 1976;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 27th May, 1977.

[No. S. 11017/7/77/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

S.O. 1856.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sendra Bansjora Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th May, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 27 of 1977

(Ministry's Order No. L-20012/150/75 D-III A Dt. 20-2-76)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s. B. C. C. Ltd., P.O. Bansjora, District Dhanbad;

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For the Workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 4th May, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act referred the following dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2 at Dhanbad by their Order No. L-20012/150/75-D-III A, dated the 20th February, 1976, namely :—

"Whether the action of the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s. B. C. C. Ltd., P.O. Bansjora, District Dhanbad is justified in refusing to place Shri Rambaran Saw, C. C. M. Driver in Category VI as per Central Coal Wage Board Recommendations, from November 1974? If not, to what relief the said workman is entitled and from which date?"

2. The same was received in this Tribunal on transfer from Tribunal No. 2 on March 18, 1973 vide Government of India, Ministry of Labour, Order No. S-11025(1)/77-(i)-D.IV (B) dated the 22nd February, 1977.

3. The General Secretary, Colliery Engineering Workers Association, in his written statement on behalf of Rambaran Saw, has alleged that Rambaran Saw was a workman in the Loyabad Colliery as a Coal Cutting Machine Driver; that all such Drivers in the Loyabad Colliery were placed in Cat. VI in accordance with the recommendations of the Central Coal Wage Board; that Rambaran Saw was, however, discriminated against and placed in Category V; that the Manager of the Loyabad Colliery transferred him to the Sendra Bansjora Colliery with a written order that he would be placed in Category VI and would be paid the wages of a Category VI Driver; that Rambaran Saw joined the Sendra Bansjora Colliery and was placed in Category VI and was also paid wages for Category VI; that he continued to receive the wages of Category VI from November 1973 (when he joined this colliery) till October, 1974 but from the month of November, 1974 Category VI wages were refused to him; that he has an experience of 15 years and deserves to be classified in Category VI, and that the award should give that Category with full back wages from November, 1974.

4. The Bharat Coking Coal Limited in its written statement, has pleaded that Rambaran Saw was appointed as a Pump Khalasi in the Loyabad Colliery in 1961 and was later promoted as C. C. M. Driver in Category V in 1968; that the Central Coal Wage Board had recommended that C. C. M. Drivers should be either in Category V or Category VI depending on their skill and experience; that Rambaran Saw was fixed in Category V because he had been newly promoted; that he was transferred to the Sendra Bansjora Colliery by Order dated November 5, 1973; that his service particulars were transmitted by the Loyabad Colliery to the Sendra Bansjora Colliery and this showed him to be in Category V and it further showed that his case for up-gradation to Category VI had been forwarded to the Sub-Area Manager; that Rambaran Saw joined the Sendra Bansjora Colliery in the latter half of November, 1973 and thereafter he managed to obtain a slip signed by the acting Manager of Loyabad Colliery showing that he was a Driver of Category VI and should be paid wages for that Category; that the Sendra Bansjora Colliery paid him the wages of Rs. 13.30 per day as a Category VI Driver instead of Rs. 9.63 per day as a Category V driver on the basis of that slip even though he was never categorised as a Driver of Category VI, that the payment was made erroneously and without authority of the Sub-Area Manager who alone was competent to give Category VI to a Driver of Category V; that the payment of wages as Category VI driver was stopped from November 1974 when an enquiry was held and the mistake was detected; and that promotion is a managerial function which should not be lightly interfered with by the Tribunal except for special reasons, which are absent in the present case.

5. The reference was taken up for hearing in Tribunal No. 2 on November 12, 1976 in the presence of Sri B. N. Sharma, the representative of the workman, but was adjourned to December 21, 1976. On the adjourned date Sri B. N. Sharma did not appear and the management examined P. P. Singh as MW-1 who remained un-cross-examined. After the receipt of the reference in this Tribunal, registered notice was sent to the General Secretary of the Colliery Engineering Workers Association but he again remained absent on April 19, 1977 and the management examined a second witness Harimoy Bhattacherjee MW-2. The evidence has thus been ex-parte against the workman. P. P. Singh was the Assistant Manager of Loyabad Colliery. He has admitted that the slip Ext. M-1 bears his signature and mentions that Rambaran Saw was a C.C.M. Driver of Category VI at Rs. 13.30 per day but he has stated that he did not sign it consciously and though he does not recollect the circumstances in which his signature was obtained thereon, he is definite that he did not intend to do so. He was only the acting Manager of the Colliery and had no power to issue such a slip. The slip is dated December 5, 1973 much after Rambaran Saw had already joined the Sendra Bansjora Colliery. P. P. Singh had therefore, no authority at all to issue such a slip in respect of a workman employed in a different colliery. Ext. M-2 is the service record of Rambaran Saw dated November 7, 1973 that was sent to Sendra Bansjora Colliery in connection with his transfer, and this mentions that he was a Category V Driver on a baic wage of Rs. 9.63 per day. It further mentions that his case for grant of Category VI had already been forwarded to the Sub-Area Manager. Obviously P. P. Singh could not have issued the slip knowingly as the order of the Sub-Area Manager had not been received and it appears to me that by some strategem or device, he happened to sign Ext. M-1. Harimoy Bhattacherjee has deposed that Rambaran Saw was appointed as Category V Driver in January 1971 and was tranferred to the Loyabad Colliery and from there to the Sendra Bansjora Colliery. He has further stated that only the Sub-Area Manager has the power to give Category VI to a Category V Driver and the Manager or the Asstt. Manager of any colliery has no such authority. I am convinced, therefore, that Rambaran Saw was never promoted as Category VI Driver. The Coal Wage Board recommendations also give the discretion to the management to place a C.C.M. Driver either in Category V or in Category VI. The management has given Category VI to more senior persons and I do not see any reason for inteference with the exercise of this discretion.

6. My award is that the management of the Sendra Bansjora Colliery were justified in refusing to place Rambaran Saw in Category VI and he is not entitled to any relief.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-20012/150/75-D. IIIA]

I. K. JAIN, Desk Officer

New Delhi, the 23rd May, 1977

S.O. 1857.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Darbhanga and their workmen, which was received by the Central Government on the 17-5-1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 5 of 1976.

(Ministry's Order No. L-12012/25/76-D. II. A., dated the 12th October, 1976).

PARTIES :

Employers in relation to the management of the Punjab National Bank, Darbhanga.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Management—Shri C. P. Panigrahi, Assistant Personnel Officer.

For the Workman—Shri C. L. Bhardwaj, General Secretary, All India Punjab National Bank Employees Association and Shri Mohan Roy, Concerned Workman.

STATE : Bihar INDUSTRY : Bank

Dated, the 10th May, 1977

AWARD

Mohan Roy was a Temporary Peon in the Darbhanga Branch of the Punjab National Bank. The management terminated his services on May 26, 1974; and when an industrial dispute was raised regarding the termination by the General Secretary, All India Punjab National Bank Employees Association, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, referred that dispute to this Tribunal for adjudication.

The parties filed a settlement in the Tribunal composing the dispute and prayed that the award be given in terms of this settlement.

The award is, therefore, given in terms of the settlement, Annexure 'A' which shall form part of the award.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

MEMORANDUM OF SETTLEMENT IN REFERENCE NO. 5 OF 1976

Shri C. P. Panigrahi, Assistant Personnel Officer of the Punjab National Bank and Shri C. L. Bhardwaj, General Secretary, All India Punjab National Bank Employees Association and Shri Mohan Roy, the concerned workman, agree that Shri Mohan Roy will be appointed as a temporary employee of the Bank at Kharsawan Branch of the Bank in Singhbhum District within a fortnight. The question of his absorption in the regular cadre will be considered in due course at par with other existing temporary employees, as and when his turn comes. He will be treated as a fresh temporary employee on and from the date when he joins his new appointment. However, for the purpose of consideration for permanency, his past period of service will be taken into account. He will not get any back wages for the period of his unemployment. He will also not be entitled to any other relief except the one agreed upon in 1937 this agreement. The parties agree that the award be given in terms of this settlement.

FOR THE MANAGEMENT

Sd/-
(C. P. PANIGRAHI)

FOR THE WORKMAN

(C. L. BHARDWAJ)
(MOHAN RAI)

Sd/-

KUNJ BEHARI SRIVASTAVA, Presiding Officer

[F. No. L-12012/25/76-D. II.A]
R. P. NARULA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 1977

का०आ० 1858.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि शुष्क बैटरी निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन हों ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ;

अतः अब उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे, तो वह उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1-बी एजरा स्ट्रीट, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700001 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि शुष्क बैटरियां निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधीन होंगी;

(2) इस आदेश के उपाबंध में दी गई शुष्क बैटरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के इस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसी शुष्क बैटरी पर लागू किया जाएगा ;

(3) (क) विनिर्देशों को विदेशी क्रेता तथा निर्यात-कर्ता के मध्य निर्यात संविदा में दिए गए के रूप में मान्यता देना,

(ख) शुष्क बैटरियों के लिए भारतीय मानक संस्थान या विदेश के राष्ट्रीय मानकों द्वारा जारी किए गए विनिर्देशों को या अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत, तकनीकी आयोग द्वारा जारी किए गए विनिर्देशों को मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देनी ।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसी शुष्क बैटरियों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि शुष्क बैटरियां निर्यात योग्य हैं।

3. इस आदेश की कोई भी बात शुष्क बैटरियों के प्रमाणिक नमूनों के भू, जल या वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी।

4 परिभाषा—इस आदेश में 'शुष्क बैटरियों' से फ्लैश लाईट, ट्रांजिस्टर उपकरण, श्रवण सहायकों, फोटो फ्लैश लैम्पों तथा संचार उपकरणों जैसे उपयोगों में प्रयुक्त 'लीक लैंच' प्रकार की शुष्क बैटरियां तथा परत प्रकार की बैटरियों भी अभिप्रेत हैं और इसमें शुष्क सैल भी आते हैं।

उपाबंध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों का प्रारूप।

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ —(1) ये नियम शुष्क बैटरियों के क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977 कहलायेंगे।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) अधिनियम से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) 'शुष्क बैटरियों' से फ्लैश लाईट, ट्रांजिस्टर उपकरण, श्रवण सहायकों, फोटो फ्लैश लैम्पो तथा संचार उपकरणों जैसे उपयोगों में प्रयुक्त 'लीक लैंच' प्रकार की शुष्क बैटरियों तथा परत प्रकार की बैटरियां भी अभिप्रेत हैं और इसमें शुष्क सेल भी आते हैं।

3 क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण:—(1) शुष्क बैटरियों की क्वालिटी, इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों के अनुसार विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए विनिर्माता द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) क्रय की गई सामग्री तथा संघटक—(क) प्रयुक्त किए जाने वाले सामान या घटकों के गुणधर्मों तथा सहायताओं सहित उनकी विस्तृत विशाओं तथा अन्य लागू होने वाली अपेक्षाओं को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा क्रय विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या प्रदाय कर्ता का क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए परख प्रमाण पत्र होगा जिस दशा में उक्त परख-प्रमाण पत्रों की शुद्धता सत्यापित करने के लिए पांच परेषणों में से कम से कम एक बार कालिक जांच की जाएगी, या इस परख प्रमाण-पत्रों की अनुपस्थिति में, क्रय विनिर्देशों से उनकी अनुरूपता की जांच करने के लिए प्रत्येक परेषण में से नमूनों की नियमित रूप से परख की जाएगी।

(ग) आने वाले परेषणों की सांख्यिकी नमूना योजना के अनुसार क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और परख की जाएगी।

(घ) निरीक्षण और परख करने के पश्चात, दोषपूर्ण परेषणों के उचित पृथक्करण तथा निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धति अपनाई जाएगी।

(ङ) विनिर्माता द्वारा उपर्युक्त नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जायेंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण (क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जायेंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित की गई प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपस्करों तथा उपसाधनों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान किए गए नियंत्रणों के सत्यापन को आसान बनाने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे।

(iii) उत्पाद नियंत्रण (क) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पादन की परख करने के लिए विनिर्माता के पास या तो स्वयं अपनी परख सुविधाएं होंगी या जहां ऐसी परख सुविधाएं नहीं वहां उन तक उसकी पहुंच होगी।

(ख) विनिर्माता द्वारा उपयुक्त परखों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जायेंगे।

(iv) पैकिंग नियंत्रण—विनिर्माता निर्यात किए जाने वाले पैकेजों के लिए ब्यौरेवार पैकिंग विनिर्देश बनाएगा और उनका कठोरता से पालन करेगा।

(2) निर्यात के लिए आशयित शुष्क बैटरियों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि उप-नियम (1) में वर्णित नियंत्रणों का सुसंगत स्तरों पर पूर्ण रीति से प्रयोग किया गया है तथा क्या सूखी बैटरियां मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4 निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) शुष्क बैटरियों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता या विनिर्माता, संविदा विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ यह घोषणा करेगा कि निर्यात के लिए आशयित शुष्क बैटरी का परेषण, नियम 3 में अधिकथित क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है, परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है निर्यातकर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति परिषद् के निकटतम कार्यालय को भेजेगा। परिषद् के पते निम्नलिखित हैं :

मुख्य कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'वर्ल्ड ट्रेड सैन्टर',
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, आठवीं मंजिल,
कलकत्ता-1

क्षेत्रीय कार्यालय :
1. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'अमन चैम्बर्स', पांचवीं मंजिल,
113, महर्षि कर्वे रोड,
बम्बई-4

2. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर बिल्डिंग्स,
महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम, कोचीन-11

3 निर्यात निरीक्षण परिषद्,
6-सी, सैक्टर 16-ए, मथुरा रोड,
फरीदाबाद ।

(2) निर्यात-कर्ता या विनिर्माता परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी अभिकरण को देगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा निर्यात-कर्ता या विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम 10 दिन पहले अभिकरण के कार्यालय को पहुंचेगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण, अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान, नियम 3 में विनिर्दिष्ट पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों तथा परिषद् द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हों, का प्रयोग किया गया है परेषण की मान्य विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक समझे गए, निरीक्षण या परख करने के पश्चात् दस दिनों के भीतर इस बात का प्रमाण पत्र जारी करेगा कि परेषण क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात-योग्य है .

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता, वहां वह उक्त 10 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार कर देगा तथा अपने ऐसे इंकार की सूचना निर्यात-कर्ता को उसके कारणों सहित देगा।

5. मान्यता प्राप्त चिन्हों का चिपकाना तथा उसकी प्रक्रिया:— भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) नियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्थान (प्रणालीकरण) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) विनियम, 1955 के उपबंध निर्यात से पूर्व शुल्क बैटरियों पर मान्य चिन्ह या मोहर के चिपकाने की प्रक्रिया पर लागू होंगे। इस प्रकार से चिह्नित शुल्क बैटरियां नियम 4 के अंतर्गत किसी भी निरीक्षण के अधीन नहीं होंगी।

6. निरीक्षण शुल्क—प्रत्येक परेषण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति 100 रुपए पर 50 पैसे की दर से निर्यात-कर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस में दी जाएगी । यह फीस कम से कम पचास रुपए होगी।

7. अपील—:(1) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, इस प्रकार इन्कार किए जाने की सूचना प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील इसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी ।

अनुसूची
(नियम 3 देखिए)

निरीक्षण/परख की विशेषताएं	अपेक्षाएं	नमूने का आकार	लौट का आकार
1	2	3	4
1. खरीदी गई सामग्री तथा घटक :			
(क) कारीगरी, फिनिश, विमाएं	उस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा।	प्रत्येक लाट
(ख) अन्य अपेक्षाएं/परख	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
2 कार्बन इलैक्ट्रोड ब्लाकों की उत्केन्द्रियता	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
3. प्रारम्भिक वोल्टता परख	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
4. पूर्ण बैटरियां .			
(क) कारीगरी, फिनिश, विमाएं टर्मिनल, चिह्नन प्रारम्भिक वोल्टता तथा प्रारम्भिक अवस्था परख	—यथोक्त—	बेलनाकार के लिए 2 नग तथा एक नग अबेलनाकार के लिए	एक ही प्रकार तथा नमूने की बैटरियों का चार घंटे का उत्पादन
(ख) कारीगरी, फिनिश, विमाएं टर्मिनल, चिह्नन प्रारम्भिक वोल्टता तथा प्रारम्भिक अवस्था परख	—यथोक्त—	यथोक्त—	—यथोक्त—
(ग) मुहरबन्द मिश्रण	—यथोक्त—	5 नग	एक सप्ताह का उत्पादन
(घ) शुष्क ऊष्मा की अवस्था के अन्तर्गत विलम्बित अवस्था	—यथोक्त—	10 नग	एक ही प्रकार तथा नमूने की बैटरियों के लिए 6 महीने में एक बार
[(ङ) शेल्फ अवस्था परख	—यथोक्त—	10 नग	एक ही नमूने के लिए वर्ष में एक बार

[सं० 6(24)/76-नि०नि० तथा नि० उ०]
के० वी० बालसुब्रह्मण्यम, उप निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 4th June, 1977

S.O. 1858.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963, (22 of 1963), it is necessary or expedient so to do for the development of export trade of India that dry batteries shall be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2 Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of publication of this notification in the official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre", 14/1B, Ezra Street, 7th Floor, Calcutta-700001

Proposals

(1) To notify that dry batteries shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Dry Batteries (Quality Control and Inspection) Rules, 1977, set out in the Annexure to this Order as the type of quality control and inspection which would be applied to such dry batteries;

(3) To recognise,—

(a) the specifications as stipulated in the export contract between the foreign buyer and the exporter;

(b) the specifications issued by the Indian Standards Institution on National Standards of a foreign country or the specifications issued by International Electrotechnical Commission for Dry Batteries as the Standard Specifications.

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such dry batteries unless the same are accompanied by a certificate issued by one of the agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act. 1963 (22 of 1963) to the effect that the dry batteries are export-worthy.

3. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of dry batteries.

4 Definition.—In this Order 'dry batteries' shall mean 'Leclanche' type dry batteries as well as Layer type of Batteries used in applications such as flash lights, transistorized equipments, hearing aids, photoflash lamps and communication equipment and include Dry Cells

ANNEXURE

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1 Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Dry Batteries (Quality Control and Inspection) Rules, 1977.

(2) They shall come into force.....

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (22 of 1963).

(b) 'agency' means any one of the agencies established by the Central Government at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Act;

(c) 'dry batteries' means Leclanche type dry batteries as well as Layer type of batteries used in applications such as flash lights, transistorized equipments, hearing aids, photoflash lamps and communication equipments and include Dry Cells.

3. Quality Control and Inspection.—(1) The quality of dry batteries shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture together with the levels of control specified in the Schedule attached to these rules; namely:—

(i) Bought out materials and components.—(a) (a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used, detailed dimensions thereof with tolerances and other requirements as applicable.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test certificate corroborating the requirements of the purchase specification in which case occasional check, at least one out of five consignments, shall be conducted by the manufacturer for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test certificate or in the absence of such test certificates, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specification.

(c) The incoming consignments shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plan

(d) After the inspection and tests are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process control.—(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various process of manufacture;

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to enable the verification of the controls exercised during the process of manufacture

(iii) Product control—(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specifications.

(b) Adequate records in respect of above test shall be systematically maintained by the manufacturer.

(iv) Packing control—The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and would strictly adhere to the same.

(2) The inspection of dry batteries intended for export shall be carried out with a view to seeing that the controls, mention in sub-rule (1) have been exercised at the relevant levels satisfactorily and the dry batteries conform to the sandard specifications.

4 Procedure of inspection.—(1) The exporter or manufacturer intending to export a consignment of dry batteries shall give intimation in writing to the agency indicating the details of the contractual specification and submit along with such intimation a declaration that the consignment of dry batteries intended for export has been manufactured by exercising quality controls laid down in rule 3, and that

the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for this purpose. The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of Council. The addresses of the Council are as under :

Head office—Export Inspection Council 'World Trade Centre' 14/1B, Ezra Street, 7th floor, Calcutta-1.

Regional offices—1. Export Inspection Council 'Aman Chambers' 4th floor, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4.

2. Export Inspection Council Manohar' Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-11.

3. Export Inspection Council, 6-P, Sector 16-A, Mathura Road, Faridabad.

(2) The Exporters or manufacturer shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than ten days prior to the despatch of the consignments from the exporter's or manufacturer's premises.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1) the agency, on satisfying itself that during the process of manufacture, adequate quality controls, specified under rule 3 have been exercised and the instructions if any, issued by the Council in this regard and after further inspection or testing as considered necessary to ensure conformity of the consignment to the standards specification, shall within ten days issue a certificate that the consignment satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is export-worthy:

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of ten days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the Exporter along with the reasons therefor.

5. Affixation of Recognised mark and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 shall so far as may be, apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on Dry Batteries prior to export Dry Batteries so marked shall not be subjected to any inspection under rule 4.

6. Inspection fee.—Subject to a minimum of rupees fifty for each consignment, a fee at the rate of fifty paise for every hundred rupees of f.o.b. value, shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

7. Appeal.—(1) Any person, aggrieved by the refusal of the agency to issue a cretificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipts.

SCHEDULE

(See rule 3)

Sl. No.	Particulars of inspection/test	Requirement	Sample size	Lot size
1.	Bought out materials and components :			
	(a) Workmanship, finish dimensions	As per standard specifications recognised for the purpose	To be fixed on the basis of recorded investigation	Each lot
	(b) Other requirements/tests	-do-	-do-	-do-
2.	Eccentricity of carbon rod electrode	-do-	-do-	-do-
3.	Initial voltage test	-do-	Each	-do-
4.	Finished Batteries :			
	(a) Workmanship, finish dimensions, terminals marking, initial voltage and initial life test	-do-	2 nos. for cylindrical types & 1 No, for non-cylindrical type	4 hours' production of batteries of same type and design.
	(b) Workmanship, finish, dimensions, terminals, marking, initial voltage and delayed life test	-do-	-do-	-do-
	(c) Sealing compound	-do-	5 nos	One week's production.
	Delayed life under dry heat conditions	-do-	10 Nos.	One in six months for batteries of same type & design.
	Shelf life test	-do-	10 Nos.	Once in a year for the same design.

[No. 6(24)/76-EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director.

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977

का०आ० 1859.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सैन्ट्रल इंडिया काटन ऐसोसिएशन लि०, उज्जैन द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ऐसोसिएशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में 16 अप्रैल, 1977 से 15 अप्रैल, 1978 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) को एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त ऐसोसिएशन ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जायें।

[सिविल संख्या 12(4)-आई०टी०/77]

ए० भूयई, उप सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

New Delhi, the 30th April, 1977

S.O. 1859.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Central India Cotton Association Ltd., Ujjain and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by the Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 16th April, 1977 to the 15th April, 1978 (both days inclusive), in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such conditions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(4)-IT/77]

A. MUBAYI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977